दैनिक नवप्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...
www.navpradesh.com
रायपुर, शुक्रवार 2 अप्रैल 2021, कृष्ण पक्ष-पंचमी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-10 अंक-55 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए
रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

न डरना है, न डराना है, कोविड का टीका तुरंत लगवाना है
45 वर्ष से ऊपर हों तब तुरंत ध्यान दें

- कोई भी फोटो आई.डी. लेकर जाएं- आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/पेंशन दस्तावेज आदि
- पंजीकरण सुविधा :- स्व पंजीकरण आरोग्य सेतु एप अथवा को-विन पोर्टल या को-विन एप के माध्यम से
- पंजीकरण स्थल पर जाकर - वॉक-इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा या सामुदायिक पंजीकरण- मितानिन, ए.एन.एम., नगरीय निकाय, पंचायती राज के प्रतिनिधि व महिला स्व-सहायता समूह की मदद से http://selfregistration.cowin.gov.in

आज बेबाक

खबरिया चैनलों की कमाई भले ही बढ़ गई है, लेकिन उनकी टीआरपी कम होने का खतरा पैदा हो गया है। दर्शकों का कहना है कि- हमें कोरोना से डर नहीं लगता साहब, केजरीवाल से डर लगता है। जो हर खबरिया चैनल पर हर 10 मिनट बाद भये प्रकट कृपाला की तर्ज पर आ धमकते हैं और लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगाने की अपील करते हैं। इसके पहले के विज्ञापनों में तो वे खुद अपना चौखटा चमकाते थे अब वैक्सीन लगवाते अपने माता पिता की फोटो भी दिखाते हैं। लगता है घुंघरू सेठ खबरियां चैनलों की वाट लगाकर ही दम लेंगे।

खास-खबर

कोरोना: तीन जिलों को कुल 7 करोड़ की राशि आवंटित

रायपुर/ नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशानिर्देश पर नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष से तीन जिलों रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर को कुल 7 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

महिला ने तीन बच्चों संग आत्महत्या की मांगी इजाजत

अजमेर/ (वार्ता)। राजस्थान के अजमेर में पति से पीड़ित एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ आत्महत्या करने की राष्ट्रपति से इजाजत मांगी है। अजमेर के राजकीय जनाना चिकित्सालय में संविदाकर्मी ठेके में काम कर रही स्थानीय पटेल नगर तोपदड़ा निवासी सोनू अपने तीन छोटे बच्चों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा।

आतंकवादियों के हमले में भाजपा नेता के गार्ड की मौत

श्रीनगर/ (वार्ता)। श्रीनगर के बाहरी इलाके में भाजपा नेता के आवास पर गुरुवार को आतंकवादियों के हमले में एक गार्ड मारा गया। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी नेता अनवर खान के नौगाम बाईपास स्थित आवास पर आतंकवादियों ने हमला किया।

छोटी बचत योजनाओं पर पहले की तरह ही मिलते रहेगा ब्याज

केंद्र सरकार ने पलटा फैसला, वित्तमंत्री सीतारमण ने दी जानकारी

■ *डाकघर बचत योजना पर ब्याज दर को चार प्रतिशत से कम कर 3.5 प्रतिशत कर दिया था*

नई दिल्ली/(वार्ता)। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में की गई भारी कटौती के फैसले से पलटते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा कि इन योजनाओं पर पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इसको लेकर एक ट्वीट करते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में छोटी बचत योजनाओं पर जिन दरों से ब्याज मिल रही थी, वही ब्याज दरें वर्ष 2021- 22 की पहली तिमाही में भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर के जो आदेश जारी किए गए थे, उसे वापस नहीं लिया जा रहा है और इन पर पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्रालय इन योजनाओं पर हर तिमाही ब्याज दरों की घोषणा करता है। इसके पहले छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया गया था।

आधे से एक फीसदी तक की थी कटौती

उल्लेखनीय है कि सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में आधी फीसदी से लेकर एक फीसदी तक की कटौती करने का निर्णय लिया था, जिससे पीपीएफ पर ब्याज दर 46 साल के निचले स्तर पर आ गया था। इस पर 46 साल में पहली बार ब्याज दर 7 फीसदी से नीचे 6.4 प्रतिशत पर आ गया था। इसी तरह से राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर भी ब्याज दर को 6.8 फीसदी से कम कर 5.9 फीसदी कर दिया गया था।

ऐसे कम की गई थी ब्याज दरें

इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दर को 7. 6 प्रतिशत से कम कर 6.9 प्रतिशत कर दिया गया था। वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों को 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था। किसान विकास पत्र पर भी ब्याज दर को 6.9 फीसदी से घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया गया था। डाकघर बचत योजना पर ब्याज दर को चार प्रतिशत से कम कर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

मार्च में जीएसटी राजस्व संग्रह रिकॉर्ड 1.24 लाख करोड़ के करीब

नई दिल्ली/(वार्ता)। लॉकडाउन के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों में आ रही तेजी के साथ ही जीएसटी राजस्व संग्रह में भी तेजी का रुख बना हुआ है और इस वर्ष मार्च में अब तक के रिकार्ड 123902 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रहीत हुआ है। मार्च में लगातार छठवें महीने जीएसटी राजस्व सँग्रह एक लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। अक्टूबर 2020 से लगातार संग्रह एक लाख करोड़ रुपए के पार बना हुआ है। अक्टूबर 2020 में 105,155 करोड़ रुपए, नवंबर 2020 में 104,963 करोड़ रुपए, दिसंबर 2020 में 115,174 करोड़ रुपये और इस वर्ष जनवरी में 119,875 करोड़ रुपए और फरवरी में 113143लाख करोड़ रुपए राजस्व संग्रहीत हुआ था। मार्च 2021 में जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष इसी महीने में संग्रहीत राजस्व से 27 फीसदी अधिक है।

मदवार राजस्व प्राप्ति

वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी जीएसटी संग्रह के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 में संग्रहीत राजस्व में सीजीएसटी 22,973 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 29,329 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 62,842 करोड़ रुपये और 8,757 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति उपकर शामिल है। आईजीएसटी में 31,097 करोड़ रुपये और क्षतिपूर्ति उपकर में 660 करोड़ रुपये आयातित वस्तुओं पर संग्रहीत कर शामिल हैं। सरकार ने आईजीएसटी राजस्व में से 21,879 करोड़ रुपये सीजीएसटी में और 17,230 करोड़ रुपये एसजीएसटी में हस्तातंरित किये हैं। सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 28 हजार करोड़ रुपए का तदर्थ भुगतान किया है।

छग : पिछले मार्च की तुलना में 22 फीसदी ज्यादा जीएसटी संग्रहण

❖ कोरोना काल में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ी

❖ छत्तीसगढ़ जीएसटी संग्रहण में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले राज्यों में शुमार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मार्च-2020 की तुलना में मार्च-2021 में जीएसटी संग्रहण में 22 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ इस साल मार्च महीने में देश में जीएसटी संग्रहण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में शुमार है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले वर्ष मार्च में 2093 करोड़ 17 लाख रूपए का जीएसटी संग्रहण हुआ था। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल मार्च में करीब 451 करोड़ रूपए ज्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है। आखिरी माह मार्च-2021 में राज्य में 2544 करोड़ 13 लाख रूपए की जीएसटी संग्रहित हुई है।

कोरोना काल में भी गतिशील बनी रही अर्थव्यवस्था

प्रदेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मनरेगा का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन, तेंदूपत्ता की बेहतर दर पर खरीदी तथा लघु वनोपजों के दामों में वृद्धि से राज्य के ग्रामीणों, किसानों, आदिवासियों को सीधे फायदा पहुंचा है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं बाजार कोरोना संक्रमण काल में भी गतिशील बने रहे। लोगों की जेब में पैसा आने से इसका लाभ उद्योग और व्यापार जगत को भी मिला। संकट-काल में ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक तरलता बनी रही, उसका लाभ उद्योगों को भी मिला।

गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत की छूट

वनांचलों में भी इस दौरान स्वसहायता समूहों के द्वारा वनोपज की खरीदी जारी रही। कोरोना संकट के दौरान रियल इस्टेट सेक्टर को सक्रिय बनाए रखने के लिए जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत की छूट दी गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बेहतर कारोबार हुआ। लॉक-डाउन के दौरान भी प्रदेश की कोयला खदानों और इस्पात उद्योगों में उत्पादन जारी रहा। कोरोना संकट के बावजूद जीएसटी संग्रहण में हुई वृद्धि राज्य शासन द्वारा आर्थिक क्षेत्र में अपनाई गई नीतियों की सफलता को इंगित करती है।

रायपुर जिले को मिले चार राष्ट्रीय पुरस्कार

■ केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने नेशनल पंचायत अवार्ड 2021 की घोषणा की

रायपुर/नवप्रदेश। भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा नेशनल पंचायत अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। इसके तहत रायपुर जिले को चार राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से नवाजा गया है। कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन के कुशल मार्गदर्शन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह के नेतृत्व में रायपुर जिले के पंचायत विभाग का वर्ष उपलब्धियों भरा रहा। भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डॉ बिजय कुमार बेहेरा ने इन पुरस्कारों के लिए चयनित होने की जानकारी दी है।

इन विकासखंडों को मिले पुरस्कार :

इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरुस्कार और आरंग विकासखंड के ग्रम पंचायत बैहार को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरुस्कार के ई गर्वनेंस केटेगरी के लिए चयनित किया गया है। इसी तरह रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम पंचायत बैहार का चयन ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पुरुस्कार 2021 के लिए तथा अभनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत नवागांव (ल) को राष्ट्रीय बालमित्र पंचायत पुरुस्कार के लिए भी चयनित किया गया है।

रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार

नई दिल्ली (वार्ता)। सरकार ने वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रजनीकांत को दिए जाने की घोषणा की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुरुवार को ट्वीट कर 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए श्री रजनीकांत के नाम का एलान किया। तीन मई को श्री रजनीकांत को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में इस सम्मान से नवाज़ा जाएगा । श्री जावडेकर ने कहा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि साल 2019 का दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड भारतीय सिनेमा के इतिहास के महान कलाकारों में से एक रजनीकांत जी को दिया जा रहा है। बतौर अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखन के क्षेत्र में उनका महान योगदान है। उन्होंने कहा, श्री रजनीकांत ऐसे प्रतिष्ठित अभिनेता हैं जिन्होंने 50 वर्षों से भारतीयों के ■ शेष पृष्ठ 6 पर

छग : 4617 नए संक्रमित, सीएम बोले कलेक्टर ले सकेंगे लॉकडाउन पर फैसला

34 मौतें, नया वैरिएंट भी मिला

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीगढ़ में गुरुवार को रात आठ बजे तक कोरोना के 4617 नए संक्रमित मिले हैं। जबकि 34 लोगों की मौत हो गई है। रायपुर में 1327 और दुर्ग में 997 नए संक्रमित मिले हैं। 437 नए संक्रमितों के साथ राजनांदगांव तीसरे नंबर पर रहा। इस बीच प्रदेश में कोरोना से ज्यादा संक्रमित जिलों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लॉकडाउन को लेकर फैसला संबंधित जिलों के कलेक्टर ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस संबंध के निर्देश मुख्य सचिव के माध्यम से कलेक्टरों को दे दिए गए हैं। इसके मुताबिक कलेक्टर अपने जिलों की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर फैसला ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी लॉकडाउन की मांग की थी। संक्रमण की दर को लेकर भाजपा नेता भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे थे।

अब 28 हजार 987 सक्रिय मामले

गुरुवार को रायपुर में सर्वाधिक 9 मौतें हुई है, जबकि 7 मौतें दुर्ग जिले में हुई है। प्रदेश में गुरुवार को 40 हजार 857 सैंपल टेस्ट हुए हैं। प्रदेश में अब 28987 एक्टिव पॉजिटिव केस हैं। इस बीच स्वास्थ्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट की पहचान की गई है। हालांकि यह खतरनाक नहीं है। यह ब्रिटेन व दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला वैरिएंट नहीं है।

देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 459 मौतें

नई दिल्ली/ (वार्ता)। पिछले 24 घंटों के दौरान सिक्किम को छोड़कर देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सक्रिय मामलों में वृद्धि हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ में बढ़े। इस दौरान महाराष्ट्र में जहां 15717 सक्रिय मामले बढ़े। छत्तीसगढ़ में 3472 मामलों की बढ़ोतरी हुई। इसी अवधि में 459 और मरीजों की मौत के साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,62,927 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 72,330 नये मामले सामने आए।

बंगाल चुनाव

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से कहा- वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग

पोलिंग बूथ पहुंच ममता ने गवर्नर को कॉल कर की शिकायत

नई दिल्ली/ए.। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर गवर्नर जगदीप धनखड़ को फोन किया। अपने समर्थकों के सामने ही गवर्नर से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'वे स्थानीय लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। मैं सुबह से ही इस क्षेत्र में हूं। अब मैं आप से अपील कर रही हूं। कृपया संज्ञान लें।' पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव के दूसरे राउंड में भी बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं। इस बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं की शिकायत ■ शेष पृष्ठ 6 पर

पहले पोलिंग अफसरों से की बात

इसे लेकर ममता बनर्जी ने पोलिंग अफसरों से बात की। इसके बाद उन्होंने सीधे गवर्नर जगदीप धनखड़ को फोन कर शिकायत की और कहा कि आप इस मामले को देखिए। पश्चिम बंगाल में हमेशा से देश भर से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहने का इतिहास रहा है। नंदीग्राम का महासंग्राम ममता बनर्जी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी आज दिन भर यहां वॉर रूम में रहेंगी।

लोग रिकॉर्ड मतदान करें: मोदी

नई दिल्ली/(वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल और असम के लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। मोदी ने गुरुवार को ट्वीट कर पश्चिम बंगाल के लोगों से रिकार्ड संख्या में मतदान करने का अनुरोध किया । उन्होंने कहा कि बंगाल तथा असम में गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान है। सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर जनतंत्र को मजबूत करें ।

दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 30 सीटों पर 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, असम में दूसरे चरण की 39 सीटों पर 26 महिलाओं सहित 345 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बंगाल में जहां टीएमसी की सीधी लड़ाई भाजपा से है, तो असम में भाजपा को अपनी सरकार को बचाए रखने की चुनौती है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल में इस चरण में सबकी नजरें हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर टिकी हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूर्व सहयोगी एवं भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में हैं।

मुख्तार को लाने वाली एंबुलेंस भाजपा नेत्री के अस्पताल की!

मऊ/ (वार्ता)। बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी को जिस एंबुलेंस द्वारा पंजाब के रोपड़ जेल से बुधवार को मोहाली कोर्ट लाया गया था,वह भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय महामंत्री अलका राय के हॉस्पिटल के नाम पंजीकृत है। हालांकि डॉ राय ने एम्बुलेंस को अपना होने से सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उक्त एम्बुलेंस से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। विश्वस्त सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि एंबुलेंस से विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब में जेल से कोर्ट ले जाया गया था। वह भाजपा नेत्री ■ शेष पृष्ठ 6 पर

ये भी कहा भाजपा नेत्री ने

उन्होंने कहा कि मऊ में श्याम संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से उनका एक हॉस्पिटल है जबकि उक्त एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन बाराबंकी जिले से किया गया है जहां उनका कोई हॉस्पिटल या संस्था संचालित नहीं होती है। उन्होने कहा कि श्याम संजीवनी अस्पताल बाराबंकी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस एंबुलेंस से मुख्तार के सेवा की सूचना भी मीडिया के द्वारा मेरे संज्ञान में भी लाया गया।

निजी एंबुलेंस से लाया गया मुख्तार को

गौरतलब हो कि पंजाब मोहाली के एक बिल्डर से फिरौती मांगने के मामले में मुख्तार अंसारी के बुधवार को कोर्ट में पेशी हुई थी इसके लिए उसे रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट जाना पड़ा था। रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट तक मुख्तार को यूपी के नंबर की एक निजी एंबुलेंस लाया गया था। छानबीन करने पर पता चला कि एंबुलेंस यूपी के बाराबंकी के एक निजी अस्पताल के नाम पर रजिस्टर्ड है। यूपी में एंबुलेंस सेवा प्रदान करने वाली कंपनी का कहना है कि मुख्तार अंसारी को मोहाली को ले जाने वाली एंबुलेंस उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल से नहीं जुड़ी है।

■ न्यूज गैलरी

महापौर धीरज ने जिला हॉस्पिटल में लगवाया कोरोना का टीका, 23 स्थानों पर लगाया जा रहा है वैक्सीन

दुर्ग (नव प्रदेश)। महापौर धीरज बाकलीवाल ने जिला हॉस्पिटल पहुंचकर आज कोरोना का टीका लगवाए। महापौर श्री बाकलीवाल ने कोरोना टीका लगवाने के बाद आम जनता से अपील कर कहा कि कोरोना टीका पूरी तरह सुरक्षित है,और सभी को ये कोरोना का टीका लगवाना चाहिए! जितना टीकाकरण होगा उतना ही संक्रमण को रोकने में सफलता मिलेगी । टीकाकरण को पूर्ण रूप से सुरक्षित माना गया है । मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर संपर्क कर टीका लगवाने प्रेरित करते हुए टोकन देकर टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने में सहयोग कर रही है । टीका के प्रथम डोज के बाद द्वितीय डोज भी लगवाना आवश्यक है । जिसके लिए आपको मेसेज द्वारा सूचित किया जाएगा।महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ पूर्व सभापति एव पार्षद राज कुमार नारायणी ने भी लगवाया टीका लगवाये। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीका अवश्य लगवाएं । दुर्ग के सभी सीनियर सिटीजन का टीकाकरण करने के लिए टीकाकरण केंद्रों में बढ़ोतरी किया गया है।

मुख्यमंत्री से बात कर गदगद हुई सृष्टि

दुर्ग (नव प्रदेश)। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आज आयोग के अध्यक्ष श्री महेन्द्र छाबड़ा, मुख्यमंत्री भुपेश बघेल के ओ एस डी मनीष बंछोर और दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वैज्ञानिक भर्ती परीक्षा में पूरे प्रथम स्थान अर्जित कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली दुर्ग निवासी सृष्टि बाफना का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया और उनके उज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान असम दौरे में गए मुख्यमंत्री भूपेश ने मोबाईल के माध्यम से सृष्टि से और उनके पिता श्री मोती बाफना से बात कर इस सफलता के लिए शुभकामनाएं दी, मुख्यमंत्री से बात कर सृष्टि और उनका परिवार प्रफुल्लित हो उठा और इसके उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा और मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. प्रवीण बंछोरदुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल का धन्यवाद दिया।

ऐहतियात | व्यापारियों सहित आम लोगों को कलेक्टर ने दी हिदायत

रात 9 बजे के बाद मार्केट एरिया का रिसाली निगम आयुक्त ने लिया जायजा

नव प्रदेश संवाददाता

रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के जारी गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित कराने आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। कल बुधवार की रात निगम आयुक्त श्री सर्वे व निगम के नोडल अधिकारी रमाकांत साहू ने मातहतों के साथ आजाद मार्केट एवं कृष्णा टाकिज रोड रिसाली के व्यवसायिक स्थलों का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होने व्यापारी वर्ग एवं आम नागरिकों से कलेक्टर गाइड लाइन का पालन करने की हिदायत दी। निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे निगम क्षेत्र में कोरोना के बड़ते प्रकोप को निर्यत्रित करने जहां दिन में टीकाकरण केन्द्र एवं कंटेनमेंट जोन का प्रतिदिन औचक निरीक्षण कर तथा शाम को कार्यालयीन कामकाज निपटाने के बाद रात में भी कोरोना संक्रमण की सफ्तार पर अंकुश लगाने चैक चैराहो, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों व मार्केटिंग एरिया में व्यापारिकों एवं आम नागरिकों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने सख्ती बरतने के साथ-साथ अपील भी कर रहे है। बता दे कि दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के द्वारा 31 मार्च से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन की समयावधि सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुनिश्चित किया गया है। रिसाली निगम क्षेत्र में संक्रमण रोकने के लिए गाइड लाइन सही ढंग से हो रहा है या नहीं इसकी जानकारी लेने निगम आयुक्त ने मातहत अधिकारियों के साथ आजाद मार्केट एवं कुष्णा टाकिज रोड रिसाली मार्केट क्षेत्र में व्यापारी वर्ग के साथ-साथ बेवजह घूम रहे लोगों को जिला प्रशासन की दिशा निर्देशों का पालन करने की सख्त समझाईश दी गयी। निगम वार्डो में संचालित टीकाकरण केन्द्र में बेहतर व्यवस्था बनाये रखने व केन्द्र में पहुंच रहे भीड़ को निर्यत्रित करने तथा रजिस्टेउशन एवं अन्य जानकारी प्रदान करने में सहयोग हेतु निगम कर्मचारियों के अतिरिक्त मितानिनों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगायाी गई है।

मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर लगा जुर्माना

■ निगम अमले ने नया बस स्टैण्ड और गांधी पुतले के पास की कार्रवाई

नव प्रदेश संवाददाता

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग का अमला ने आज मास्क नहीं लगाने वालों पर अभियान चलाया। उन्होनें गांधी प्रतिमा चैक और नया बस स्टैण्ड में लोगों को रोक-रोककर 20 लोगों पर जुर्माना लगाया । स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, स्वच्छता निरीक्षक मनेसिंग मंडावी, राजेन्द्र सराटे, दरोगा सुरेश भारती, मनोहर शेन्द्रें, विनित वर्मा, शोएब खान सहित अन्य ने की कार्यवाही ।

जिला कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के निर्देशानुसार आयुक्त हरेश मंडावी के मार्गदर्शन में मास्क नहीं लगाने वालों के साथ ही अब सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वाले लोगों और दुकानदारों पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है । आयुक्त श्री मंडावी ने अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि मास्क लगाने में जागरुकता आयी है अब सोशल डिस्टेंस का पालन कराना आवश्यक है । बाजार क्षेत्रों में लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। जिन दुकानदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उनके खिलाफ जुर्माने के साथ कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित करें । समस्त दुकानदारों से अपील है कि कोरोना संक्रमण की संख्या में वृद्धि हो रही है इसे देखते हुये आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने दुकानों में बिना मास्क के आने वाले व्यक्ति को सामान न देवें।

छत्तीसगढ़ में नाबार्ड के नए प्रमुख डॉ. डी रविंद्र

नव प्रदेश संवाददाता

दुर्ग। डॉ. डी रविंद्र मुख्य महाप्रबंधक ने आज नाबार्ड छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का कार्यभार संभाल लिया है। डॉ. रविंद्र, पशु चिकित्सा विज्ञान के मास्टर है और एमबीए की डिग्री भी रखते हैं। उन्हें उनकी वेटरनरी मास्टर डिग्री पढ़ाई के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं आंध्र बैंक में कुछ साल काम करने के बाद नाबार्ड के उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय में 1988 को शामिल हुए। प्रधान कार्यालय मुंबई में सेवा करने के पश्चात उन्होंने आंध्र प्रदेश में अपना जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने गुजरात एवं महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालयों में काम करते हुए, विकास पहलुओं ग्रामीण वित्तीय संस्थानों और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के पुनर्वित्त में अनुभव प्राप्त किया। रायपुर आने से पहले उन्होंने कारपोरेट आयोजना विभाग प्रधान कार्यालय मुंबई में काम किया एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य हित धारकों के साथ अच्छा तालमेल विकसित कर नाबार्ड के विभिन्न नीतिगत पहलुओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं विशेष रूप से संबंधित कृषि ऋण वितरण का अध्ययन करने के लिए इजरायल, मॉरीशस, अंगोला और केन्या जैसे देशों का दौरा किया। 25 से अधिक लेख उनके द्वारा लिखे गए और विभिन्न राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, पत्रिकाओं में प्रस्तुत एवं प्रकाशित किया गया है।

रायपुर नगर निगम के फ्रंट लाइन वर्कर्स घर-घर जाकर वैक्सीन लगाने कर रहे हैं प्रेरित

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन पर कोरोना संक्रमण से जन सामान्य को सुरक्षित रखने रायपुर जिले में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन के निर्देश पर जिले में कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण के लिए भी लोगों को लगातार प्रेरित किया जा रहा हैं। रायपुर नगर निगम का स्वच्छता अमला शहर की साफ-सफाई में अपनी सक्रिय भूमिका के साथ ही अपने शहर को कोरोना से बचाने घर-घर जाकर जागरूकता अभियान संचालित कर रही हैं, वह इनकी बेहतर सेवा व संवेदनशील सोच की एक बड़ी मिसाल हैं।

महापौर श्री एजाज़ ढेबर की अगुवाई में लगभग 3500 सफाई कर्मचारियों की टीम, फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना से बचाव हेतु टीके तुरंत लगवाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स पूरे नगर निगम क्षेत्र में घर-घर जाकर नजदीकी टीकाकरण केन्द्रों की जानकारी से भी लोगों को अवगत कराते हैं।

कमिश्नर श्री सौरभ कुमार की पहल पर रायपुर नगर निगम के सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना के टीके लगाए जा चुके है, लिहाजा अपने अनुभव भी वे नागरिकों से साझा करते है, जिसका सकारात्मक प्रभाव लोगों में पड़ रहा है और लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर टीकाकरण को जरूरी मानते हुए पूरी प्राथमिकता के साथ नजदीकी टीकाकरण केन्द्र में पहुंचकर अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। पिछले एक साल से शहरी स्वच्छता को बनाए रखने व अपने प्रयासों से कोरोना संक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने दिन-रात जुटी हुई हैं। इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने, हाथों को नियमित रूप से धोने और बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं व बच्चों का खास ध्यान रखने का संदेश भी दे रही हैं।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक सिकोला

सूचना-सीमांकन/बटांकन/स्थल जाँच/बंदोबस्त त्रुटि सुधार बाबत्

संदर्भ : तहसीलदार दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 22 दि. 5.3.21 /तह. दुर्ग/2019

उद्घोषणा

उपरोक्त आदेश के परिपालन में ग्राम उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं- सिकोला के भूमि स्वामी/आवेदक श्री कृष्णाराव कटारे आत्मज/ध.प. रामचन्द्र कटारे के भूमि ग्राम उरला में स्थित सीमांकन/बटांकन/स्थल जांच/बन्दोबस्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदित भूमि ख.नं. 369/1, 369/2 रकबा 0.17, 0.289 हे. का स्थल जांच/सीमांकन/बटाकंन/त्रुटिसुधार मेरे द्वारा किया जावेगा। चूंकि उक्त खसरा नं. से आपकी भूमि भी लगी हुई है या आपके द्वारा बेची गई है। अतः आप अपने समस्त दस्तावेजों (पंजीयन ले आऊट वगैरह) के साथ मौके पर दिनांक 16.04.21 को 12.00 बजे उपस्थित रहे।

सील

राजस्व निरीक्षक सिकोला तह. व जिला - दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग

उद्घोषणा

पंजी.नं. - 202103100400330

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका फरहा रजा पति अहमत रजा निवासी - कसारीडीह दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम- कसारीडीह प.ह.नं. 56 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 763/10 रकबा 0.012 हे./1325 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिये छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59(2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 16/03/21 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील

अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पक्षकार का नाम- श्रीमती सुनीता साहू रा.प्र.क्रं./ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन नंबर 202103100400

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सुनीता साहू पति श्री संतोष कुमार साहू निवासी केम्प 02, भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172/59 (2)(5) के तहत् इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा (क्षेत्रफल)	प्रयोजन
ग्राम कुरुद प.ह.न -19अ तह.व जिला दुर्ग	1313/9	0.020हे. 2178 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति-दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आजे दिनांक 25.03.21 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

कार्यालय राजस्व निरीक्षक सिकोला

सूचना-सीमांकन

संदर्भ - तहसीलदार दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 22 दिनांक 9/03/2021 2020/21

उपरोक्त आदेश के परिपालन में ग्राम उरला प.ह.नं.-07 रा.नि.मं. - सिकोला के भूमि स्वामी/आवेदक श्री कृष्णाराव कटारे आ. रामचन्द्र कटारे के भूमि ग्राम उरला में स्थित सीमांकन हेतु आवेदित भूमि खसरा 369/1, 369/2 रकबा 0.17, 0.289 हे. का स्थल सीमांकन मेरे द्वारा किया जावेगा। चूंकि उक्त खसरा नं. से आपकी भूमि भी लगी हुई है या आपके द्वारा बेची गई है। अतः आप अपने समस्त दस्तावेजों (पंजीयन ले आउट वगैरह) के साथ मौके पर दिनांक 16/04/2021 को 12:00 बजे उपस्थित रहे।

मुहर

राजस्व निरीक्षक सिकोला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला

क्र : 202103100900070/202103100900070

मामले की श्रेणी : राजस्व

विषयःअ-6 सन 2020-21

महकाकला प.ह.न. 00025 (हे.)

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार-रागिनी गुप्ता, अनावेदक पक्षकार-

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं ग्राम महकाकला प.ह.नं. 25 तहसील पाटन, जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका रागिनी गुप्ता पति स्व. डॉ सुमन्त गुप्ता अन्य निवासी आमदी नगर भिलाई द्वारा ग्राम महकाकला ह.नं.25 तहसील पाटन स्थित भूमिस्वामी मेसर्स संचय डेवलपर्स एण्ड प्रमोदर्स द्वारा भागीदार पींकू घोष पिता स्व. जे.एम. घोष अन्य के नाम दर्ज भूमि ख.नं. 48/1, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 संयुक्त का टुकड़ा 0.02 हे. (2000 वर्गफीट) को आवेदिका के पति सुमन्त गुप्ता पिता रामप्रसाद गुप्ता द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांक 06.05.2016 को क्रय किया जाना परन्तु क्रेता डॉ. सुमन्त गुप्ता का दिनांक 14.12.2020 को फौत होने से उनके विधिक वरिसानी के नाम पर प्रमाणीकरण किये जाने हेतु सहित आवेदन प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः आवेदिका रागिनी गुप्ता पति स्व. डॉ. सुमन्त गुप्ता अन्य द्वारा पंजीकृत बैनामा से उपरोक्त दर्शित भूमि क्रेता के नाम नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 19.04.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26.3.2021 को जारी किया जाता है।

सील

तहसीलदार पाटन, जिला-दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला

क्रमांकः 202103100900072/202103100900072

विषयः अ-6 सन्- 2020-2021

मामले की श्रेणी-राजस्व

ढौर प.ह.न. 00024 (776/1 (0.1800हे.)

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार दिनेश कुमार अग्रवाल / अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्रमा ढौर प.ह.नं. 24 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक दिनेश कुमार अग्रवाल पिता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल निवासी ग्राम मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई द्वारा ग्राम ढौर प.ह.न 24 तहसील पाटन स्थित भूमि स्वामी के.वी. सत्यनारायण पित के.बी. राव के नाम दर्ज भूमि खसरा नं. 776/1 रकबा 0.18 हे. को पंजीकृत बैनामा दिनांक 12/01/2021 ये क्रय आधार पर प्रमाणिकरण किए जाने हेतु सहित आवेदन प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः दिनेश कुमार अग्रवाल पिता लक्ष्मीनारायण द्वारा पंजीकृत बैनामा से उपरोक्त दर्शित भूमि क्रेता के नाम नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति संस्था को आपत्ति हो तो अपने लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 19.4.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 9.03.2021 को जारी किया जाता है।

नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

(धारा 178 प्रारूप)

रा.प्र.क्र.//अ-27/वर्ष 2020-21

क्योंकि मौजा रिसाली तह. व जिला दुर्ग के सह भूमि स्वामी तारा धारबेंड आ. स्व. लक्ष्मण साकिन आदर्श नगर भिलाई तह. व जिला दुर्ग ने निम्नांकित अनुसूचि में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्यों कि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है एवं सुनवाई का दिनांक 20/04/2021 स्थान तह. कार्यालय दुर्ग पर दिन 11:00 बजे नियत किया गया है। उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हों एवं अपने आक्षेपों यदि कोई हो तो पेश करें। उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नहीं कर पाने की स्थिति में आक्षेपों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(खाते का विवरण): खसरा नं. 654, 658 रकबा 0.180, 0.050 हे.

आज दिनांक 17/03/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

मामला क्रमांक /.../....2020-21

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक महेश्वरी निर्मलकर साकिन जेवरा सिरसा तह. व जिला दुर्ग छ.ग. के द्वारा अपने पिता होरीलाल आ. स्व. दुखुराम निर्मलकर की मृत्यु दिनांक 5/6/2018 को हो चुकी है। उक्त संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र चाहा गया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो वह दिनांक 14/4/2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है।

आज दिनांक दिनांक 20.03.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा कि साथ जारी किया गया है।

मुहर

नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राम कुमार आ./पति खोरबाहरा निवासी बोरीगारका तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरीगारका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 861 रकबा 1.840 हे. भूमि जो की कमला पति खोरबाहरा के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी के मृत्यु 24/8/20 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 15.04.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

2020 -21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सेवक राम पिता/पति स्व. बुधरू राम निवासी रिसामा मौजा रिसामा प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 430/1, 430/7, 430/8, 430/6, 430/9 रकबा कुल 0.399 मेहत्तर के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी के द्वारा आवेदक के नाम वसीयत किया गया है। भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 05/06/1995 को हो जाने के कारण आवेदक का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 13.04.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.03.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मामला क्रमांक अ-6 वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक शेष नारायण पिता /पति स्व. समलिया राम निवासी छुईखदान तहसील व जिला राजनांदगांव द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पिता के नाम पर ग्राम नगपुरा प.ह.नं.-2 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 1428/1, 2576/1, 2452/ रकबा 0.2400, 0.1200, 0.3200 हे. भूमि एकल खाता/शामिल खाता में दर्ज है। खातेदार समलिया की मृत्यु दिनांक 18/11/2019 को होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 9.04.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

20210310310070032०/अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका कौशिल्या देवी शर्मा पिता/पति स्व. संतोष शर्मा निवासी ग्राम तकियापारा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 1053/1386/1 रकबा 0.0200 हे. भूमि जो की आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार संतोष शर्मा आ. स्व. हीरालाल शर्मा की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 16.04.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

202103103100700356/अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक महेन्द्र कुमार मंडले पिता स्व. बिरजु मंडले निवासी ग्राम बैजनाथपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 484/29 रकबा 0.009 हे. भूमि जो की आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार बिरजु आ. पंचम की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 9.04.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.03.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

ई.पंजी. 202103100700357

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सनत कौशिक पिता कृष्णा कौशिक निवासी ग्राम न्यू कृष्णा नगर सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 74/1 का टु. रकबा 1.075 वर्गफुट भूमि को विक्रेता हरिनारायण पिता स्व. बाबुराम निवासी ग्राम पोटियाकला से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 10.02.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 8.04.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.03.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202103100400514

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक खोला राम साहू आ. नंदलाल साहू निवासी रिसाली तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 706/21 रकबा 0.016 हे. अर्थात 1750 वर्गफुट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202103100400220

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमति ममता बाम्बेसर आ. श्री गौकरण लाल बाम्बेसर निवासी कुथरेल दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम पोटियाकला प.ह.न. 55 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 466/79 रकबा 0.0130 हे./ 1425 वर्गफुट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202104100400037

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका देवपल्ली पूजा पति डी.पी.के. मार्टिन निवासी उतई तह.व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1270/9 रकबा 0.010 हे./ अर्थात 1000 वर्गफुट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 30.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202104100400014

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमति सारिका कसार पति दमन कुमार कसार निवासी शंकर नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 565/151 रकबा 0.030 हे./3360 वर्गफुट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202104100400009

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री नारायण लाल यादव आ. स्व. शिवप्रसाद यादव निवासी कसारीडीह दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 740/11 रकबा 0.022 हे./2400 वर्गफुट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक शैलेष नागदेवे पिता/पति खुशाल राजाराम नागदेवे निवासी वार्ड- नं.-11 सड़क नं.-5 शंकर नगर दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 360/118 रकबा 875 वर्गफुट भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार जावेद खान आजमी पिता/पति स्व. समसुद्दीन खान आजमी से दिनांक 03/02/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 13.04.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.03.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक गणेश्वर कुमार साहू पिता/पति दशरथ लाल साहू निवासी वार्ड- नं.-16 सिकोला बस्ती जयंती नगर दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 360/118 रकबा 1600 वर्गफुट भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार जावेद खान आजमी पिता/पति स्व. समसुद्दीन खान आजमी से दिनांक 03/02/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 13.04.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.03.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

महिला से ऑनलाइन 45 हजार की ठगी

रायपुर। गिफ्ट भेजने के लिये गुगल पर लोकल कोरियर सर्विस का नंबर सर्च संपर्क करने पर महिला से 45 हजार रुपये की ठगी कर लेने की रिपोर्ट राजेन्द्रनगर थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 89 लाविस्टा कालोनी अमलीडीह निवासी श्रीमती मेघा नचरानी 45 वर्ष पति संजय नचरानी ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 29 मार्च को शाम 7.30 बजे प्रार्थिया ने गिफ्ट भेजने के लिये गुगल पर लोकल कोरियर सर्विस का नंबर सर्च कर दिये नंबर पर कॉल कर गिफ्ट भेजने के लिये जानकारी मांगी। जिसके बाद पीड़िता के मोबाईल पर 62944-92688 मोबाईल फोन धारक ने कॉल करके गिफ्ट भेजने के लिये 5 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कहकर टेक्स मैसेज भेजा। जिसको भरने के बाद प्रार्थिया के सेन्ट्रल बैंक खाते से 5 बार में 44996 रुपये खाते से कट गया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात मोबाईल फोन धारक के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

अधिक दाम में शराब बेचने का विरोध करने पर युवक की पिटाई

रायपुर। अधिक दाम में शराब बेचने का विरोध करने पर शराब दुकान के कर्मचारियों ने एक व्यक्ति की डण्डे से पिटाई कर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट पुरानीबस्ती थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार छीर्रापारा भाठागांव निवासी रवि विश्वकर्मा 32 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 31 मार्च को रात 8.45 बजे प्रार्थी शराब खरीदने देशी शराब दुकान भाठागांव गया था। जहां शराब का तय दाम से अधिक मांगने पर पीड़ित ने विरोध किया। जिसके बाद शराब दुकान में मौजूद कर्मचारी विवेक दिब्या,आत्माराम टण्डन,चंद्रकुमार एवं अन्य ने मिलकर प्रार्थी के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्का एवं डण्डे से पिटाई किया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 323,506,34 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

नाबालिग लड़की लापता, मामला दर्ज

रायपुर। नाबालिग लड़की के लापता हो जाने की रिपोर्ट गुढ़ियारी थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित 35 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 30 मार्च को रात 8 बजे पीड़ित की नाबालिग बेटी उम्र 16 वर्ष 5 माह किसी बताए बिना कही चली गई है। आसपास पता-तलाश करने पर नही मिली। पीड़ित ने आशंका जाहिर की है कि किसी लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 के तहत अपराध कायम कर गुम इंसान का मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

पंजीयन शुल्क गाइड लाइन दरों में छूट और बढ़ी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजीयन शुल्क गाईड लाइन्स की दरों में 30 प्रतिशत की छूट को एक वर्ष के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी हैं । इसके तहत अब वर्तमान में 30 प्रतिशत दरों में कमी वाली प्रचलित गाईड लाइन दर वितीय वर्ष 2021 -22 में भी यथावत रहेगी । इसके साथ ही 75 लाख रुपये तक के बाजार मूल्य के आवासीय मकान और फ्लैटस के विक्रय विलेखों पर पंजीयन शुल्क गाईड लाइन मूल्य के 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत करने का निर्णय भी एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया हैं । परिवार के सदस्यों से भिन्न पक्ष को विक्रय , विनिमय और दान की स्थिति में संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन में पंजीयन शुल्क गाईड लाइन मूल्य का 4 प्रतिशत ही रखा गया हैं।

चरस एवं हेरोइन तस्करी करते दो को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायपुर। नशे के खिलाफ शुरू किए अभियान के बाद पुलिस का नशे के खिलाफ 'ऑपरेशन क्लीन' चला रही है। इस अभियान के तहत जाद चौक सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से सप्लाई होने वाली हेरोइन और कोकीन मिक्स चिट्टा और चरस बरामद की है। कबीर नगर और आमानाका थाना इलाको में अलग अलग हुई दो कार्रवाई में 2 नशे के सौदागरो को गिरफ्तार भी किया है। मिली जानकारी के अनुसार देर रात आमानाका इलाके में हैप्पी ढाबा के पीछे वलवंत सिंह नाम के एक युवक की लगातार शिकायत मिल रही थी कि वो नशे का सामान बेचता है। जिसकी तस्दीक के बाद एक पुलिस जवान को सादी वर्दी में ग्राहक बनाकर भेजकर नशे का सामान खरीदा और तभी आरोपी को पकड़ने के लिये सादी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियो ने बलविन्दर सिंह पन्नु 34 वर्ष पिता परसेन सिंह धरदबोचा और आमानाका थाना लेकर आये और देर रात एफएसएल वैज्ञानिक से जांच कराने पर 4 ग्राम हेरोईन और कोकीन मिक्स कर बनाया चिट्टा निकला।

गांजा बेचने की फिराक में सड़क किनारे खड़ा युवक पकड़ाया

रायपुर। गांजा बेचने के फिराक में ग्राहक का इंतजार कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से 1 किलो 470 ग्राम गांजा बरामद कर जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात मानाबस्ती नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति गांजा बेचने के फिराक में ग्राहक का इंतजार करने की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच मुखबीर के द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर एक युवक को घेराबंदी कर पकड़कर तलाशी लेने पर उसके पास आसमानी कलर के थैले में 2 पैकेट में 1 किलों 470 ग्राम गांजा अनुमानित कीमत 15 हजार रुपये को बरामद किया। जिसके बाद उसका नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम तरुण रात्रे 24 वर्ष पिता मिथलेस रात्रे निवासी ग्राम भटगांव रायपुर बताया है। आरोपी के खिलाफ गांजा बेचने के जुर्म में नार्कोटिक्स एक्ट की धारा 20 बी के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

छत्तीसगढ़ में शनिवार-रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की उठने लगी मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में मरीजों की संख्या ना केवल फिर तेजी से बढ़ने लगी है, वहीं प्रतिदिन लोगों की जानें भी जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से लोगों में भारी खौफ भी देखा जा रहा है, जिसके कारण अब प्रदेश में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की मांग भी उठने लगी है। राजधानी रायपुर में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले पिछले दो सप्ताह में बढ़े है उससे चिंतित युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने रायपुर में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है।

हर दिन कराएं 40 हजार सैंपलों की जांच : सिंहदेव

स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना जांच, इलाज और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था तथा टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज राज्य स्तरीय कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोरोना टीकाकरण की प्रगति और कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रोजाना 40 हजार सैंपलों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाने कहा। सिंहदेव ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में टीके लगाने के लिए प्रेरित करने और लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण सत्रों की संख्या बढ़ाते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में इस आयु वर्ग के 58 लाख 67 हजार लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बैठक में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों एवं कोविड केयर सेंटर्स में उपलब्ध सुविधाओं, होम आइसोलेशन व्यवस्था, ऑक्सीजन आपूर्ति, आईसीयू व एचडीयू सुविधा, नए लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण की तैयारियों और संक्रमितों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की समीक्षा की। उन्होंने होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे मरीजों द्वारा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

डॉ. शुक्ला ने दी टीकाकरण की जानकारी

कोरोना टीकाकरण की प्रभारी अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बैठक में बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना के टीके के कुल 18 लाख 62 हजार 119 डोज लगाए जा चुके हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और 45 वर्ष से 59 वर्ष के कोमोरबिडिटी वाले दस लाख 43 हजार 233 लोगों को इसका पहला टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश के दो लाख 89 हजार 406 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीके का पहला डोज और एक लाख 84 हजार 546 को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। वहीं दो लाख 26 हजार 587 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला टीका और एक लाख 18 हजार 347 को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए राज्य में बीते सप्ताह 24 मार्च से 30 मार्च के बीच प्रतिदिन औसत 30 हजार 588 सैंपलों की जाच की गई है।

चार नई लैब के बारे में भी पूछा

उन्होंने कोरबा, महासमुंद, कांकेर और कोरिया में स्थापित किए जा रहे चार नए वॉयरोलॉजी लैब की प्रगति की भी जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, सचिव शहला निगार, आयुक्त डॉ. सीआर प्रसन्ना, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला और सीजीएम एससी के प्रबंध संचालक कार्तिकेय गोयल भी बैठक में मौजूद थे।

सोमानी अपहरण कांड की गुत्थी सुलझाने वाली टीम पुरस्कृत

गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिया पुरस्कार

आईजी, एसएसपी सहित पूरी टीम को ढाई लाख रुपए का नकद इनाम

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने उद्योगपति प्रवीण सोमानी अपहरण कांड की कम समय में गुत्थी सुलझाने और पीड़ित की सकुशल वापसी पर टीम को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है। गृह मंत्री साहू ने गुरुवार को प्रकरण से जुड़े जांच टीम के आई.जी, एस.एस.पी सहित पूरी टीम को ढाई लाख रुपए के नकद इनाम का वितरण किया। साहू ने प्रकरण जांच दल के सभी सदस्यों को प्रकरण की गुत्थी सुलझाने पर हौसला अफजायी की। उद्योगपति प्रवीण सोमानी अपहरण कांड के जांच दल में शामिल आई.जी डॉ. आनंद छाबड़ा, एसएसपी आरिफ शेख, एएसपी पंकज चंद्रा, श्री तारकेश्वर पटेल समेत सभी सीएसपी, टीआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि उद्योगपति प्रवीण सोमानी के अपहरण कांड की गुत्थी सुलझाने पर गृहमंत्री द्वारा नकद इनाम देने की घोषणा की गई थी। ज्ञात हो कि- गत वर्ष 8 जनवरी को उद्योगपति श्री प्रवीण सोमानी सिलतरा स्थित अपनी फैक्ट्री से घर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उसका अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में छानबीन के बाद उसके यूपी में होने का पता चला था। खुद एसपी आरिफ शेख यूपी जाकर सोमानी को अपहरणकर्ताओं से छुड़ा कर सकुशल रायपुर वापस लाए थे। इस मामले में पुलिस 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी हैं।

एक ही दिन में सर्वाधिक 1,22,384 लोगों को लगा टीका

रायपुर। राज्य में बुधवार को एक लाख 22 हजार 384 लोगों ने कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र पहुंचकर उम्मीद का टीका लगवाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक एवं राज्य कोविड टीकाकरण की नोडल अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया की 01 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि इस आयु वर्ग के सभी लोग देर न करते हुए जल्दी ही अपना और अपने परिजनों का टीकाकरण अवश्य कराएँ क्योंकि टीकाकरण से कोविड-19 से होने वाले कॉम्प्लिकेशन्स से बचा जा सकता है। बुधवार को प्रदेश भर में 1911 सेशन साइट पर कुल एक लाख 22 हजार 384 लोगों को टीका लगाया गया।

टीके के लिए आए लोगों का ग्लूकॉन डी से स्वागत

संस्कृति विभाग अध्यक्ष ने किया स्वागत

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मेडिकल मोबाइल यूनिट में भी अब कोरोना की वैक्सीन 45 वर्ष की आयु से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगाया जाना आज से प्रारम्भ कर दिया गया है। मोबाइल मेडिकल यूनिट की बस राजधानी शहर रायपुर के प्रत्येक वार्ड में जाएगी। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सतर्कता एवं सावधानी रखना ही सर्वाधिक उचित है। इस कड़ी में आज पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड क्रमांक 35 में मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से वार्ड के निवासी 45 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया गया। पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड के हमर अस्पताल राजा तालाब में वार्ड पार्षद एवं नगर निगम संस्कृति विभाग के अध्यक्ष आकाश तिवारी द्वारा मेडिकल मोबाइल यूनिट में आज जिन नागरिकों ने कोरोना का टीका लगवाया उन्हें ग्लूकोज डी देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया और उन सभी लोगों से आग्रह किया कि वे अपने आप पास के लोगों को जागरूक करें और सभी लोग शीघ्र कोरोना का टीका जरूर लगवाएं।

गाइडलाइन का करें पालन : तिवारी

नगर निगम संस्कृति विभाग के अध्यक्ष एवं पार्षद श्री तिवारी ने कोरोना का टीका लगवाने वाले नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा कि बिना काम घर से ना निकलें, सामाजिक दूरी के नियम का पूर्ण व्यवहारिक पालन करें एवं छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य विभाग एवं रायपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी की गयी कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें। एमआईसी सदस्य श्री तिवारी ने नागरिकों के मध्य स्वास्थ्य जनजागरूकता लाने अभियान चलाने के दौरान कहा कि यह सब आप सभी नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है। इस बात को उन्होंने वार्ड में नागरिकों को जानकारी देकर समझाने का कार्य किया। एमआईसी सदस्य एवं वार्ड पार्षद श्री तिवारी ने बताया कि उन्होंने लोगों के घरों में जाकर टीकाकरण में अपनी सहभागिता निभाने का आग्रह किया और सभी लोगों से विनम्र अनुरोध किया कि अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण के महा अभियान में अपना योगदान अवश्य दें। इस हेतु नगर निगम के संस्कृति विभाग अध्यक्ष श्री तिवारी ने कोरोना टीकाकरण के लिए सभी वार्डवासियों को अभियानपूर्वक जागरूक किया ।

जोन क्रमांक-3 के श्याम नगर तेलीबांधा कंटेनमेंट जोन घोषित

रायपुर। कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 03 के अंतर्गत श्याम नगर, तेलीबांधा (थाना-तेलीबांधा) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में मुकेश सेन का मकान, पश्चिम में कबीर द्विवेदी का मकान, उत्तर में संजय गवई का मकान तथा दक्षिण में गुरूद्वारा के सामने वाली रोड तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए है। कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।

चेकिंग

रायपुर-नवप्रदेश। भाटागांव ओवरब्रिज के नीचे निगमकर्मी मास्क चेकिंग अभियान चलाते हुए।

डॉ. महंत ने पिता बिसाहू दास महंत को दी श्रद्धांजलि

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने पिता स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की जयंती के अवसर पर छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। डॉ महंत ने कहा कि वे पिता स्व.श्री बिसाहू दास महंत जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के चलते समाज सेवा, जनसेवा के कार्य करने का हरसंभव प्रयास करते हैं, और नाम के अनुरूप चरणों का दास बने रहने के कार्य करते हैं। बता दें कि 0बिसाहू दास महंत मध्य प्रदेश के लिए एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे मध्यप्रदेश की प्रथम केबिनेट के मंत्री रहे हैं। व राज्य में कांग्रेस द्वारा निर्मित सबसे सफल विधायक थे, और उन्होंने बाराद्वार का प्रतिनिधित्व किया। कोषा को व्यापार और राष्ट्रीय पटल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान दिलाने का कार्य किया। स्व. महंत जीवनभर जनसेवा से जुड़े रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ही उनकी छवि एक सफल राजनेता की रही है। वे अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक तथा मंत्री के रूप में प्रदेश के विकास के लिए समर्पित रहे। उन्होंने क्षेत्र में खेती-किसानी, सिंचाई तथा सड़कों के निर्माण से लोगों की बेहतरी के लिए काम किया। जिसे आज कांग्रेस भूपेश सरकार राज्य के श्रेष्ठ बुनकरों को हर साल पुरस्कृत करती है। यह सम्मान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. बिसाहू दास महंत की स्मृति में दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार बंछोर के निधन पर दुख प्रकट किया

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री अरूण कुमार बंछोर के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। अरूण कुमार बंछोर का गुरुवार सवेरे एम्स रायपुर में निधन हो गया। वे 53 वर्ष के थे। स्वर्गीय अरूण कुमार बंछोर के फेफड़े में दिक्कत होने के कारण पहले से ही एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जिसके बाद उन्हें एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से स्वर्गीय बंछोर के परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करने और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। स्वर्गीय बंछोर ने दैनिक अमृत संदेश, सन स्टार एवं राष्ट्रीय मेल हिन्दी अखबारों में सेवाएं दी है।

राज्यपाल ने भी जताया गहरा दु:ख

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने वरिष्ठ पत्रकार श्री अरूण कुमार बंछोर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

रायपुर जिले में कोरोना से अब तक 905 की मौत

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते कोरोना से प्रतिदिन मौतों का सिलसिला भी जारी है। बुधवार को 09 मौतें होने के बाद जिले में इस महामारी से कुल मौतों की संख्या बढ़कर 905 पहुंच गई है, वहीं वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 6469 है।स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार रात को जारी बुलेटिन के अनुसार रायपुर जिले में बीते दिन कोरोना के 1291 नये मामले सामने आये है, वहीं कोरोना पॉजीटिव मरीज 09 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 30 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है।

संपादकीय

बंगाल में बंपर वोटिंग के मायने

बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ था, दुसरे चरण में भी इसी तरह बंपर वोटिंग हुई है। दुसरे चरण में भी 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है। मतदान का यह प्रतिशत और ज्यादा हो सकता था लेकिन मतदान के दौरान जगह जगह हुए उपद्रव और हिंसा के कारण मतदान प्रभावित हुआ। नंदीग्राम जहां मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी का मुकाबला भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी से हो रहा है वहां भी जमकर वोटिंग हुई है। नंदिग्राम के महासंग्राम में भी तृणमूल कंग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई जिसके चलते लगभग दो घंटे तक नंदीग्राम के एक मतदान केन्द्र में मतदान रूका रहा। वहां खुद ममता बेनर्जी पहुंच गई थी और मतदान केन्द्र को ही राजनीति का अखाड़ा बना लिया था। उन्होने वहीं प्रेस कांफ्रेंस की और भाजपा पर वही घिस-पिटा आरोप लगाया कि बंगाल में भाजपा ने बाहरी गुंडे बुला रखे है जो मतदान को प्रभावित कर रहे है और टीएमसी समर्थक मतदाताओं को डरा धमका कर मतदान करने से रोक रहे है। उन्होने चुनाव आयोग पर भी जमकर भड़ास निकाली है और कहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। बंगाल में चुनाव के दौरान भारी गड़बड़ी की जा रही है ऐसा चुनाव उन्होने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। उसके जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि नंदीग्राम से ममता बेनर्जी चुनाव हार रही है इसलिए वे अपना आपा खो चुकी है और भाजपा व चुनाव आयोग पर अनर्गल आरोप लगा रही है। हकीकत तो यह है कि पहली बार बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे है और यह ममता बेनर्जी को रास नहीं आ रहा है क्योंकि वे चाह कर भी टीएमसी के गुंडो के माध्यम से गड़बड़ी नहीं करा पा रही है। ममता बेनर्जी जिस तरह की नौटंक कर रही है उससे यही लगता है कि उन्हे अपनी और अपनी पार्टी की पराजय का एहसास हो चुका है इसीलिए वे चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रही है और बंगाल में शेष चरणों के लिए होने जा रहे मतदान के पूर्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल इस बार चुनाव आयोग ने बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए है जिसके चलते सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस गड़बड़ी नहीं कर पा रही है। बहरहाल दो चरणों के मतदान में जो बंपर वोटिंग हुई है उसे लेकर राजनीतिक विष्लेषक यह मायने निकाल रहे है कि बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है, वैसे भी बंपर वोटिंग होना सत्ता परिवर्तन का सूचक माना जाता है। ममता बेनर्जी के 10 साल के कार्यकाल से असंतुष्ट बंगाल के लोगों ने लगता है कि इस बार बदलाव की बयार बहाने का मन बना लिया है। देखना होगा कि शेष छह चरणों के मतदान में क्या स्थिति बनती है और कितनी ज्यादा वोटिंग होती है। मतदान संपन्न हो जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी की इस बार ममता बेनर्जी की पार्टी सत्ता में रह पाएगी या बदलाव के बयार में बह जाएगी।

गुड फ्राइडे: मानवता के लिए यीशु का बलिदान

योगेश कुमार गोयल

> गुड फ्राइडे के दिन क्षमा, मेल-मिलाप, सहायता और त्याग पर केन्द्रित ईसा मसीह के अंतिम सात वाक्यों की विशेष व्याख्या की जाती है। मान्यता है कि प्रभु यीशु ने ही ईसाई धर्म की स्थापना की थी। गुड फ्राइडे की प्रार्थना दोपहर 12 से 3 बजे के बीच ही की जाती है क्योंकि माना जाता है कि यीशु को इसी दौरान सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु यीशु का कोई दोष नहीं होने पर भी उन्हें क्रॉस पर लटकाकर मारने का दण्ड दिया गया था लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हत्यारों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा था कि हे ईश्वर! इन्हें क्षमा करें क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिस दिन उन्हें सूली पर लटकाया गया, उस दिन फ्राइडे अर्थात् शुक्रवार था और तभी से इस दिन को 'गुड फ्राइडे' कहा जाता है। कैथोलिकों द्वारा शुरू की गई प्रथा के अनुसार गुड फ्राइडे के ठीक 40 दिन पहले आने वाले बुधवार से ईसाई समुदाय में प्रार्थना और उपवास प्रारंभ हो जाते हैं। इस बुधवार को 'राख का बुधवार' कहा जाता है।

ईसाई धर्म के अनुयायियों का प्रमुख त्यौहार है 'गुड फ्राइडे', जो एकमात्र ऐसा दिन है, जिसका निर्धारण यहूदियों द्वारा किया जाता है। चांद देखकर यहूदी फरवरी माह में ही इस दिन का निर्धारण करते हैं। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। जिस दिन ईसा मसीह ने प्राण त्यागे थे, उस दिन शुक्रवार था और इसी याद में 'गुड फ्राइडे' मनाया जाता है। ईसाई समुदाय द्वारा इस त्यौहार को शोक के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को यीशु द्वारा मानवता की भलाई के लिए दिए बलिदान के रूप में देखा जाता है। दरअसल ईसाई मान्यता के अनुसार दुनिया को प्रेम, दया, करुणा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु (ईसा मसीह) को इसी दिन उस जमाने के धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया था, इसीलिए इस दिन मानवता की रक्षा के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद किया जाता है। ईसाई धर्म के अनुयायी इस अवसर पर चर्च जाकर प्रभु यीशु को याद कर शोक मनाते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं। गुड फ्राइडे के दिन गिरिजाघरों में घंटा नहीं बजाया जाता बल्कि लकड़ी के खटखटे बजाए जाते हैं और लोग चर्च में क्रॉस को चूमकर प्रभु यीशु का स्मरण करते हैं। कुछ स्थानों पर लोग काले कपड़े पहनकर प्रभु यीशु के बलिदान दिवस पर शोक भी व्यक्त करते हैं और यीशु से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने की याद में इस दिन उनके अनुयायी समस्त लौकिक सुविधाओं का त्याग कर देते हैं। इस दिन चर्च और घरों से सजावटी वस्तुएं हटा दी जाती हैं या उन्हें कपड़े से ढ़क दिया जाता है।

उपवास के दौरान लोग केवल शाकाहारी और सात्विक भोजन करते हैं। माना जाता है कि यीशु ने मानव सेवा प्रारंभ करने से पहले चालीस दिन तक व्रत किया था और संभवतः इसीलिए उपवास की यह परम्परा शुरू हुई। इस दिन दुनियाभर के ईसाई सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए चर्च में चंदा या दान देते हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह को परमेश्वर के पुत्र माना जाता है। उन्होंने लोगों को क्षमा, शांति, दया, करूणा, परोपकार, अहिंसा, सद्व्यवहार और पवित्र आचरण का उपदेश दिया और उनके

इन्हीं सद्गुणों के कारण लोग उन्हें शांति दूत, क्षमा मूर्ति और महात्मा कहकर पुकारने लगे थे। कहा जाता है कि वे यरूशलम के गैलिली प्रांत में लोगों को मानवता, सत्य, एकता, प्रेम, अहिंसा और शांति का उपदेश दिया करते थे। उनके संदेश दूर-दूर तक फैलने लगे और उनके विचारों को लोग अपने जीवन में अपनाने लगे। वहां के लोग उन्हें परमपिता परमेश्वर का दर्जा देने लगे थे। समाज में धार्मिक अंधविश्वास और झूठ फैलाने वाले धर्मगुरूओं को इसी कारण ईसा मसीह से काफी जलन होने लगी थी क्योंकि लोग अपनी समस्याओं को लेकर अब उनके पास नहीं आ रहे थे। करीब दो हजार वर्ष पूर्व उन्हें मृत्युदंड इसीलिए दिया गया क्योंकि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और घोर विलासिता तथा अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक कर रहे थे। आम लोगों में उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता से उस प्रांत के कट्टरपंथियों और धर्मगुरूओं को अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता दिखने लगा था। यही कारण था कि यहूदियों के सभी कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने एकजुट होकर ईसा को मानवता का सबसे बड़ा शत्रु बताना शुरू कर दिया और उनका पुरजोर विरोध करते हुए उस समय के रोम के शासक पिलातुस से यह कहते हुए उनकी शिकायत कर दी कि ईसा स्वयं को ईश्वर का पुत्र बताता है और लोगों को ईश्वर राज की बातें बताता है।

रोम साम्राज्य को डर था कि कहीं यहूदी क्रांति न कर दें, इसलिए कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए रोम शासक ने ईसा मसीह पर धर्म की अवमानना और राजद्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड का फरमान सुनाते हुए ईसा को क्रॉस पर लटकाकर जान से मारने का आदेश दे दिया। मृत्यु के पहले ईसा मसीह को भयावह अमानवीय यातनाएं दी गई। उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उन्हें सूली को कंधों पर उठाकर ले जाने को विवश किया गया और गोल गोथा नामक स्थान पर ले जाकर दो अन्य अपराधियों के साथ बेरहमी से कीलों संग ठोकते हुए सूली पर लटका दिया गया। शुक्रवार के दिन यीशु ने उत्पीड़न और यातनाएं सहते हुए मानवता के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ईसा मसीह परिवर्तन के पक्षधर थे और उन्होंने मानव प्रेम की सीमा नहीं बांधी बल्कि अपने बलिदान से उसे आत्मकेन्द्रित एवं स्वार्थ से परे बताया। पृथ्वी पर बढ़ रहे पापों के लिए बलिदान देकर ईसा ने निःस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सूली पर प्राण त्यागने से पहले यीशु ने कहा था, ''हे ईश्वर! मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं।'' ईसाई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्रॉस पर लटकाए जाने के करीब तीन दिन बाद अर्थात् रविवार को ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए थे, इसीलिए गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को 'ईस्टर संडे' के नाम से जाना जाता है। पुनः जीवित हो उठने के बाद ईसा ने अपने शिष्यों के साथ 40 दिनों तक रहकर हजारों लोगों को दर्शन दिए। ईसा मसीह के जी उठने की याद में ही दुनियाभर में ईसाई धर्म के अनुयायी 'ईस्टर संडे' मनाते हैं। इस दिन लोग चर्च में एकत्रित होकर ईसा मसीह को याद करते हुए उनके जी उठने की खुशी में प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। ईस्टर की आराधना उषाकाल में ईसाई महिलाओं द्वारा की जाती है क्योंकि माना जाता है कि यीशु का पुनरूत्थान इसी वक्त हुआ था और उन्हें सबसे पहले मरियम मदीलिनी नामक महिला ने देखा था और अन्य महिलाओं को इस बारे में बताया था। वस्तुतः प्रभु यीशु केवल ईसाई धर्म के अनुयायियों के ही आराध्य देव नहीं हैं बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि सत्य, अहिंसा, परोपकार, प्रेम, दया, क्षमा, करूणा, त्याग ही मानवीयता के केन्द्रबिन्दु हैं और इन्हीं का उपदेश वे समस्त मानव जाति को दिया करते थे।

विचार

भारत कुछ करके दिखाए

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र के जवाब में पत्र लिखा, यह अपने आप में उल्लेखनीय बात है लेकिन 23 मार्च के पत्र का जवाब देने में उन्हें एक हफ्ता लग गया, यह भी विचारणीय तथ्य है। इससे भी बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के स्थापना दिवस पर मोदी ने इमरान को बधाई दी। मोदी को शायद पता होगा कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। अब मोदी ने इसी दिन पर इमरान को बधाई देकर पाकिस्तान के निर्माण और भारत-विभाजन को औपचारिक मान्यता दे दी। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने एक स्वयंसेवक की इस पहल का विरोध नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान अब एक सच्चाई है, जिसे हमें स्वीकार करना ही है। जहां तक इमरान की चिट्ठी का सवाल है, उसका कौन स्वागत नहीं करेगा ? लेकिन पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री या फौजी तानाशाह की हिम्मत है कि वह भारत को अपनी चिट्ठी भेजे और उसमें कश्मीर का जिक्र न करे ? इमरान को शायद इसी दुविधा में एक हफ्ता लगाना पड़ गया होगा। कश्मीर जितना भारत-पाक मामला है, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान का अंदरुनी मामला है। कश्मीर तो पाकिस्तान की अंदरुनी राजनीति का छोंक है। इस छोंक के बिना किसी भी नेता की दाल गल ही नहीं सकती। इसीलिए इमरान को दोष देना ठीक नहीं है लेकिन इमरान की चिट्ठी में कश्मीर के छोंक की मिर्ची का असर बहुत कम हो जाता, अगर वे मोदी को यह भरोसा दिलाते कि वे आतंकवाद को खत्म करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अब अमेरिकी दबाव में दोनों देशों के बीच कुछ संवाद शुरु हो गया है, यह अच्छी बात है लेकिन यह दबाव तभी तक बना रहेगा, जब तक चीन से अमेरिका की अनबन चल रही है और उसका अफगानिस्तान से पिंड नहीं छूट रहा है। दुर्भाग्य यही है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत फिसड्डी बना हुआ है। हमारा विदेश मंत्रालय खुद पहल करने के काबिल नहीं है। इसीलिए दूसरों के मेलों में जाकर वह बीन बजाता रहता है, जैसा कि कल उसने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में जाकर किया है। बीन उसने अच्छी बजाई लेकिन वह काफी नहीं है। कुछ करके भी दिखाना चाहिए।

देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे पांच राज्यों के चुनाव

डॉ नीलम महेंद्र

> भाजपा की अगर बात करें तो 2011 में उसे केरल विधानसभा में मात्र एक सीट मिली थी और इस बार वो मेट्रो मैन ई श्रीधरन की छवि और अपने विकास के वादे के साथ मैदान में है। वहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में उतरी लेफ्ट ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चुनावों से पहले सबरीमाला से जुड़े सभी केसों को वापस लेने का फैसला लिया है। जाहिर है गैर हिंदी भाषी केरल में भाजपा वर्तमान में अवश्य अपनी जमीन तलाश रही है लेकिन उसकी निगाहें भविष्य पर हैं। यही कारण है कि कांग्रेस और लेफ्ट भले ही केरल में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं लेकिन दोनों का ही मुख्य मुकाबला भाजपा से है। पुड्डुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ की कांग्रेस सरकार चुनावों से ऐन पहले गिर गई। यह दक्षिण में कांग्रेस की आखिरी सरकार थी।

चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जहां पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होंगे वहीं पश्चिम बंगाल में आठ चरणों तो असम में तीन चरणों में चुनावों का आयोजन चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। भारत केवल भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश नहीं है अपितु सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से भी वो अपार विविधता को अपने भीतर समेटे है। एक ओर खान पान बोली मजहबी एवं धार्मिक मान्यताओं की यह विविधता इस देश को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध तथा खूबसूरत बनाती हैं। तो दूसरी ओर यही विविधता इस देश की राजनीति को जटिल और पेचीदा भी बनाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षो में देश की राजनीति की दिशा में धीरे धीरे किंतु स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। तुष्टिकरण की राजनीति को सबका साथ सबका विकास और वोटबैंक की राजनीति को विकास की राजनीति चुनौती दे रही है। यही कारण है कि इन पाँच राज्यों के चुनाव परिणाम देश की राजनीति की दिशा तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिद्ध होंगे। इतिहास में अगर पीछे मुड़कर देखें तो आज़ादी के बाद देश के सामने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कोई और विकल्प मौजूद नहीं था। धीरे धीरे क्षेत्रीय दल बनने लगे जो धीरे धीरे अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत होते गए। लेकिन ये दल क्षेत्रीय ही बने रहे, अपने अपने क्षेत्रों से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी रहा कि समय के साथ ये दल अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस का मजबूत विकल्प बनने में अवश्य कामयाब हो गए। आज स्थिति यह है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी इन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ कर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं आम चुनावों में कांग्रेस की स्थिति का आंकलन इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि वो लगातार दो बार से अपने इतने प्रतिनिधियों को भी लोकसभा में नहीं पहुंचा पा रही कि सदन को नेता प्रतिपक्ष दे पाए। उसे चुनौती मिल रही है एक ऐसी पार्टी से जो अपनी उत्पत्ति के समय से ही तथाकथित सेक्युलर सोच

वाले दलों ही नहीं वोटरों के लिए भी राजनैतिक रूप से अछूत बनी रही। 1980 में अपनी स्थापना ,1984 आम चुनावों में में मात्र दो सीटों पर विजय, फिर 1999 में एक वोट से सरकार गिरने से लेकर 2019 लोकसभा में 303 सीटों तक का सफर तय करने में बीजेपी ने जितना लम्बा सफर तय किया है उससे कहीं अधिक लम्बी रेखा अन्य दलों के लिए खींच दी है। क्योंकि आज वो पूर्ण बहुमत के साथ केवल केंद्र तक सीमित नहीं है बल्कि लगभग 17 राज्यों में उसकी सरकारें हैं। वो दल जो केवल हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित था आज वो असम में अपनी सरकार बचाने के लिए मैदान में है, केरल तमिलनाडु और पुड्डुचेरी जैसे राज्यों में अपनी जड़ें जमा रहा है तो पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल है।

असम की अगर बात करें तो घुसपैठ से परेशान स्थानीय लोगों की वर्षो से लंबित एनआरसी की मांग को लागू करना, बोडोलैंड समझौता, बोडो को असम की ऑफिशियल भाषा में शामिल करना,डॉ भूपेंद्र हज़ारिका सेतु, बोगिबिल ब्रिज, सरायघाट ब्रिज जैसे निर्माणों से असम को नार्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों से जोड़ना। कालीबाड़ी घाट से जोहराट का पुल और धुबरी से मेघालय में फुलबारी तक पुल जो असम और मेघालय की सड़क मार्ग की करीब ढाई सौ किमी की वर्तमान दूरी को मात्र 19 से 20 किमी तक कर देगा जैसे विकास कार्यों के साथ भाजपा की वर्तमान सरकार जनता के सामने है। वहीं अपनी खोई जमीन पाने के लिए संघर्षरत कांग्रेस ने अपने पुराने तर्ज़ पर ही चलते हुए,सत्ता में आने पर सीएए को निरस्त करना, सभी परिवारों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देना, राज्य की हर महिला को 2000 रूपए प्रति माह देना और 5 लाख नौकरियां देने जैसे वादे किए हैं।

बंगाल की बात करें तो यहाँ लगभग 34 वर्षों तक शासन करने वाली लेफ्ट और 20 वर्षो तक शासन करने वाली कांग्रेस दोनों ही रेस से बाहर हैं। विगत दो बार से सत्ता पर काबिज़ तृणमूल का एकमात्र मुख्य मुकाबला भाजपा से है। उस भाजपा से जिसका 2011 के विधानसभा चुनावों में खाता भी नहीं खुला था। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जिस हिंसा और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी ने वाम का 34 साल पुराना किला ढहाया था आज उनकी सरकार के खिलाफभाजपा ने उसी हिंसा और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। केरल की अगर बात करें तो यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने हैं यह अलग बात है कि अन्य राज्यों में लेफ्ट उसकी सहयोगी होती है। अभी तक ऐसा देखा गया है कि हर पाँच साल में दोनों बारी बारी से सत्ता में आते हैं इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उसकी सत्ता में वापसी हो सकती है। क्या होता है यह तो समय ही बताएगा लेकिन चूंकि राहुल गांधी केरल से लोकसभा पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए केरल की जीत मायने रखती है।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

महर-महर महके

महर-महर महके अमराई, फगुन के संदेशा ले के बारी म कुहके कारी कोइली, सजन के संदेशा ले के कतका बसंत बीत गे हे जोंही जोहत तोर रद्दा होगे हौं बही अब सगुन संग भेज दे पाती, गवन के संदेशा ले के..... लाली परसा सहीं मोरो छाती दहकथे अंग-अंग जनाथे जइसे मउहा महकथे तैं तो जुड़वास के जोंग ल जमादे, मिलन के संदेशा ले के।

- कवि सुशिल भोले

वो करते हैं ऐश

वो करते हैं ऐश उन्हें दुनिया से क्या। हरदम रहते हैं फ्रेश उन्हें दुनिया से क्या। जो जी चाहे करते हैं निडरता से। बढ़ा रहे हैं क्लेश उन्हें दुनिया से क्या। कभी मदारी और कभी जोकर जैसा। बदल रहे हैं वेश उन्हें दुनिया से क्या। है बिगड़ी औलादे वो मां बाप की। उड़ा रहे हैं कैश उन्हें दुनिया से क्या।

- कमलकांत डोंगरे

ख़ास पाती | हां अलग-अलग होते हैं रिश्ते

हां अलग-अलग होते हैं रिश्ते कुछ रिश्ते जुड़ते हैं शब्दों से और कुछ दिल से जबकि कुछ रिश्ते बस रिसते हैं वजह बेवजह ही दिल के रिश्तों में जरूरत नही होती शब्दो की वो बयां होते हैं नजरों से, अहसासों से कभी देखा है मोमबत्ती को जलते हुए कितनी शांति और सौम्यता से जलाता है धागा खुद को और अपना आस्तित्व, वजूद अपना रूप हँसते हुए खो देती है मोम सुनो यही तो होता है ना प्रेम एक दूजे की खातिर बिखरना और बिखर कर भी सिमटना हां कई बार बिखर कर सिमटने में पड़ जाती है दरारें भी पर याद रखना जब भी दिख जाए दरार इसे जल्द से जल्द भरने की कोशिश करना जो समय रहते न भरा जाए तो खाई बनने में वक़्त नही लगता। **- प्रीया वाच्छानी**

हाँ हम और तुम जीवन भर

हाँ हम और तुम जीवन भर एक काम शिद्दत से किया पूरी इमानदारी से अपने अपने हिस्से के सिक्के उछालने का , और करते रहे पूरजोर कोशिश हमारी बाजी कभी न उल्टी पड़े पर अजब है , खेल उपरवाले का हर सिक्का गलत पड़ता और हम एक सही बाजी की चाहत में न भूले सिक्के उछालना जिसके लिए जीवन भी दाँव पर लग गया और न आनी थी सही बाजी , न आयी यही तो होता आया है सदियों से कितने ही युधिष्ठिर खोते आये हैं अपना सबकुछ और अंत में खाली हाथ लौट पड़ते हैं जीवन से विदा लेकर। **- सीमा राय द्विवेदी**

यह रोग भयानक कोविड है

यह रोग भयानक कोविड है इसका अनुमान करो। निज यौवन वैभव का अपने मन में न गुमान करो। अब भीड़ नहीं रह दो गज दूर सुरक्षित जान करो। रघुनाथ हरें हर रोग सभी उनका बस ध्यान करो। **- डॉ बिपिन पाण्डेय**

गुमां के दायरे में क्या नहीं गुमां के दायरे में क्या नहीं

गुमां के दायरे में क्या नहीं गुमां के दायरे में क्या नहीं है जो दिखता है कभी वैसा नहीं है ख्यालों का मुसलसल सिलसिला है ज़हन इनसे कभी बचता नहीं है बंधी है बंधनों में सारी दुनियां कोई रिश्ता मगर दिखता नहीं है आईने ने भी आखिर कह ही डाला तुम्हारा अक्स भी तुम सा नहीं है मिला हूँ तुमसे तो यह सोचता हूँ अब आगे का सफ़र तन्हा नहीं है।

- अनु मित्तल

श्याम ने चूनर रंग डारी प्रेम रंग प्रीति रंग जीवन

श्याम ने चूनर रंग डारी प्रेम रंग प्रीति रंग जीवन प्रतीति रंग। राग अनुराग उद्दीपक सुनीति रंग। कीन्ही सुरंग रंग सारी। मंद मंद मुरली मनमोहन बजाई धुन। चंग मृदंग ढ़प बाजै शहनाई सुन। घूंघर की घोर भई भारी। नैनन की कोर सुध-बुध श्याम लूट लई। मोह मोतियन की माल हिरदै सौं छूट गई। दीन्ही ज्ञान भरी गारी। **- देवयानी भारद्वाज**

त्योहार का बीत जाना त्योहारों के बीत जाने पर उत्पन्न हुआ

त्योहार का बीत जाना त्योहारों के बीत जाने पर उत्पन्न हुआ स्वर ! त्योहार और उस से पहले के दिनों के हर्ष -उल्लास, उत्सुकता तैयारियाँ , व्यस्तताएँ, नफ़ा-नुकसान , पाया-गँवाया जैसी तमाम भरी-पूरी ध्वनियों पर लगा एक पूर्ण विराम है बाद उसके, कुछ बाकी रह जाता है अगर तो वह है ! इधर-उधर मुँह ढाँपे पड़े घोर सन्नाटों के तीखे स्वर और एक लंबी थकान देह की कभी-कभी देह से अधिक मन की। **- आभा खरे**

QUIZ TIME

1) वास्तुशिल्प से संबंधित किस शब्द का प्रयोग सामान्यतया एक ही आकार की चापों की श्रृंखला के लिए किया जाता है?
2) किस बाड़े का नाम छह सौ फुट की दूरी के मापन की यूनानी इकाई के नाम पर रखा गया है?
3) 1545 में शेरशाह द्वारा दिल्ली में निर्मित किस स्मारक का वर्तमान नाम अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर द्वितीय के दो पुत्रों को प्राणदंड दिए जाने की घटना से प्रभावित होकर रखा गया?
4) अपनी जीवन सहायक अक्षमता के कारण किस गैस का नाम फ्रेंच रसायनशास्त्री एंटॉइन लावोजियर द्वारा 'एजॉट' रखा गया, जब उन्होंने एक तत्व के रूप में इसकी खोज की थी?
5) सातवीं शताब्दी में राजा अजय पाल चैहान द्वारा बनाए गए किस किले पर मोहम्मद गौरी ने 1193 ईस्वी में पृथ्वीराज चैहान को परास्त करने के बाद कब्जा कर लिया था?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) आर्केड (2) स्टेडियम (3) खूनी दरवाजा (4) नाइट्रोजन (5) अजमेर किला

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1559 - इटली के जेनोआ क्षेत्र से यहूदियों को निकाला गया। 1679 - मुगल शासक अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। 1720 - पेशवा बालाजी विश्वनाथ का निधन। 1745 - ऑस्ट्रिया और बवेरिया ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। 1767 - यीशु की सोसायटी का स्पैनिश साम्राज्य और नेपल्स के साम्राज्य में दमन किया गया। 1787 - न्यायपालिका के एक चार्टर ने आपराधिक और नागरिक अधिकार क्षेत्र के पहले न्यू साउथ वेल्स न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिकार प्रदान करने पर हस्ताक्षर किए। 1792 - सिक्का कानून पारित हुआ, संयुक्त राज्य मिंट की स्थापना हुई। 1860 - ट्यूरिन में पहली इटली की संसद की बैठक शुरू हुई। 1902 - शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली ख़ाँ का जन्म। 1902 - पहला इलेक्ट्रिक फिल्म थियेटर अमेरिका के लॉस एंजिल्स में खोला गया। 1912 - टाइटैनिक जहाज के समुद्री परीक्षण की शुरुआत हुई। 1933 - भारतीय क्रिकेटर प्रिंस रणजीत सिंहजी का गुजरात के जामनगर में निधन। 1935 - ग्रेट ब्रिटेन के रॉबर्ट वॉटसन-वाट ने पहली व्यावहारिक रडार प्रणाली का तैयार किया। 1940 - ब्रिटेन और डेनमार्क ने एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1941 - जर्मन और इतालवी सेना ने अंग्रेजों को अजदबिया शहर से बाहर का रास्ता दिखाया। 1942 - कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज किया। 1969 - प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अजय देवगन का जन्म। 1981 - भारत में टी वी के प्रसिद्ध हास्य कलाकार कपिल शर्मा का जन्म।

एचडीएफसी एर्गो फसल बीमा कंपनी का पुतला किसानों ने कृषि विभाग के सामने जलाया

नवप्रदेश संवाददाता

कवर्धा। चना फ़सल 2019 के फ़सल बीमा का क्लेम नहीं देने से नाराज़ किसानो ने 28 मार्च की दोपहर कृषि विभाग के सामने फ़सल बीमा कम्पनी एचडीएफ़सी एर्गो का पुतला फूंका। नाराज़गी और विरोध प्रदर्शन के साथ ही किसानो की सूझबूझ प्रशंसनीय है उन्होंने कोविड के निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन के बाद उन्ही किसानो ने सड़क पर जलते पुतले पर किसी दुर्घटना के पूर्व ही पानी डाल कर बुझाया।

किसानो का कहना है की एचडीएफ़सी एर्गो फ़सल बीमा कम्पनी ज़िले के हज़ारों किसानो के साथ खिलवाड़ कर रही है। ज़िला प्रशासन और कृषि विभाग ना तो कम्पनी से किसानो को डेढ़ साल पुराना फ़सल बीमा की राशि दिलवा रहा है और ना ही कम्पनी के विरुद्ध ब्लैकलिस्टेड करने या एफ़आईआर करवाने जैसा दंडात्मक कार्यवाही कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में साँठ-गाँठ की जाँच की माँग भी किसानो ने की है।

किसानो ने बताया की सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनके बारे में एचडीएफ़सी एर्गो ने कृषि विभाग को जानकारी उपलब्ध करवाई है की उनका भुगतान 6 से 8 माह पूर्व किया जा चुका है परंतु किसानो के खाते में आज तक राशि नहीं आइ है जैसे मड़मड़ा से चंद्रकुमार सतनामी, कमलाबाई, लखनपुर कला से उमेंद्र चंद्रवंशी, बरभांवर से दिनेश चंद्रवंशी, रैतापारा से ब्रमहानंद, घोरेबारा से मंजु चंद्रवंशी, मानिकचौरी से चंपाबाई साहू, सैहामलगी से शत्रुघन चंद्रवंशी, इंदोरी से मुखीराम।

इसी तरह एक हज़ार से अधिक किसान ऐसे हैं जिनकी राशि बीमा कम्पनी ये कह कर नहीं दे रही है की ष्टस्ष्ट से पंजीयन के समय किसानो के दस्तावेज साही नहीं है। किसानो के फ़सल बीमा को लेकर विगत दिनो कलेक्टर कार्यालय के सामने मौनप्रदर्शन करने वाले भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा का इस विषय पर कहना है की 8 जुलाई 2019 को फ़सल बीमा हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर फ़सल बीमा कम्पनी बीमा के अंतिम दिनांक (31 दिसम्बर 2019) के 60 दिनो के भीतर अर्थात् 29 फ़रवरी 2020 तक प्रकरण अस्वीकार कर प्रीमियम की राशि वापस कर सकती थी। अब तो डेढ़ वर्ष का समय हो गया है और दावा प्रतिपूर्ति की पूरी ज़िम्मेदारी बीमा कम्पनी की है। विजय शर्मा का कहना है की भुगतान करने के स्थान पर कम्पनी बहने बना रही है जबकि उसे किसान, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार से प्रीमियम की पूरी राशि प्राप्त है। ऐसा हर वर्ष होता है किसान कृषि विभाग और ज़िला प्रशासन के दरवाज़े पर नाक रगड़ कर हार मान लेता है और बीमा कम्पनियाँ मज़े करती हैं।

प्राप्त जानकारी के आधार पर सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनके बारे में कम्पनी का कहना है कि उनके खाते में राशि ट्रान्स्फ़र नहीं हो पा रहा है। जबकि उनके उसी खाते में अन्य सारे लेनदेन अनवरत हो रहे हैं। ग्राम आँछि से कुमार यादव, कोयलॉरी से तिहारी चंद्राकर, सोहगपुर से तपसी, छिरपानी से रामबाई साहू, केशली खुर्द से रामगोपाल चंद्राकर का बीमा क्लेम इसी लिये अब तक अप्राप्त है।

यात्रा पूरी

रायपुर(नवप्रदेश)। एक दिवसीय धम्म यात्रा 28/3/21 जम्मू अंबारण बौद्ध विरासत , मिस्टर नरेन्द्र सिंग के माध्यम से डॉक्टर प्रज्ञा तारा के नेतृत्व में नौ महिलाओ सहित धम्म यात्रा पूर्ण कर आज 31/3/21को पुरी टीम सकुशल रायपुर पहुंची । जम्मू से 26 किमी दूर अखनूर एक ऐतिहासिक नगर विराट नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां बौद्ध मठ परिसर उजागर हुआ है जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष पाया गया है। ये दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध स्थलों में से एक है यहां स्तूप खुदाई के दौरान मिला है। अम्बारण को इस बात का गौरव प्राप्त है कि विश्व में ऐसा आठवा स्थल है जहां भगवान बुद्ध के अवशेष खुदाई के दौरान स्तूप से मिले हैं।

हरियाली निगल रही हैं अर्जुन्दा की आरा मशीनें!

नवप्रदेश संवाददाता

बालोद। शासन प्रशासन पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे बांटने व लगाने का काम कर रहा हैं। ताकि प्रकृति का विदोहन होने से बचा जाए व गिरते जलस्तर पर रोक लग सके। लेकिन ज़िलें के नए तहसील अर्जुन्दा में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही हैं। इन्हें मुख्यालय के आरा मशीन संचालक धड़ल्ले से उपयोग में ले रहे हैं, कटाई के बाद लकड़ी का खुलेआम परिवहन प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा हैं। अर्जुन्दा की आरा मिलों में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित लकड़ियां खपाई जा रही है। बताया जा रहा है नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित दो आरा मिल किराए से संचालित हो रहे है। सूत्रों की माने तो हर दो दिन की आड़ में बेशकीमती लकड़ियों से भरी गाड़ियां अर्जुन्दा पहुंचती है। प्रतिबंधित लकड़ियां खपाने का बड़ा गिरोह पूरे क्षेत्र में सक्रिय है। इसकी वजह अफ़सरों द्वारा आरा मिलों की जांच नहीं करने और मुखबिर के भरोसे रहना है।

नहीं होती जांच या कार्रवाई

वैध आरा मशीन संचालक को परिसर में सूचना पटल पर मशीन का आकार और ले आउट प्लान, लकड़ियों का स्टॉक, लाइसेंस रखना आवश्यक है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इस आरा मशीन के खिलाफकार्रवाई तो दूर, वार्षिक जांच तक नहीं की जाती है। आरा मशीन संचालक की मनमानी का यह आलम है कि यहां प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ की बड़ी मात्रा में चिराई की जा रही है।

बेखौफचल रही अर्जुन पर आरी

गावों में खेत की मेड़ में बड़ी तादात में पाए जाने वाले अर्जुन की कटाई और परिवहन पर प्रशासन ने प्रतिबंध कर दिया है। बावजूद इस लकड़ी की कटाई और परिवहन अधिकारियों के नाक के नीचे चल रहा है पर कोई रोक लगाने वाला नहीं है। अर्जुन्दा के आस-पास गांवो में लकड़ी तस्कर बेखौफ होकर प्रतिबंधित कहुआ पेड़ की कटाई कर अवैध परिवहन कर रहे हैं। जगह-जगह खेतों पर कटे हुए अर्जुन पेड़ो के ठूंठ देखे जा सकते है। राजश्व और वन विभाग की निष्क्रियता के कारण इन दिनों लकड़ी माफ़िया और आरा मिल वाले चांदी काट रहे हैं।

नियम विरुद्ध लकड़ियों का भंडारण

आरा मशीन में नियम विरुद्ध बड़ी मात्रा में इमारती व अन्य लकड़ियों का भंडारण किया गया है। अर्जुन्दा में करीब 2 आरा मशीन स्थापित हैं, जिसे फ़िलहाल किराए से संचालित होना बताया जा रहा है। जिनमें कटाई करके कीमती लकड़ियों का भंडारण किया जा रहा हैं। माफ़िया अवैध रूप से पेड़ों की कटान कराकर लकड़ी आरा मशीनों पर भेज देते हैं। अवैध कटान के व्यवसाय में संलिप्त लोग आरा मशीनों पर भंडारित लकड़ी सुरक्षित मानते हैं। काफ़ी दिनों से यह धंधा फल फूल रहा है।

भू राजस्व की धारा 241 का उल्लंघन

जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई हो रही हैं, वे राजस्व विभाग के क्षेत्र में आती हैं। शासन ने पेड़ों की 53 प्रकार की प्रजातियों को राजस्व विभाग के सुपुर्द किया हैं। पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण न कर पाना भू-राजस्व अधिनियम की धारा 241 का उल्लंघन हैं।

ट्रक और कार में जबरदस्त भिड़ंत, 4 लोगों की मौत

- घटना में दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत
- चारामा के रतेसरा के पास हुई दुर्घटना

नवप्रदेश संवाददाता

कांकेर। 31 मार्च की दरमियानी रात एक ट्रक ने कार को जबरदस्त टक्कर मार दी।जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना चारामा थानांतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 30 रतेसरा के पास हुई हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धमतरी से लखनपुरी लौट रहे कार क्रमांक सीजी 04 एनबी 4267 को ट्रक क्रमांक सीजी 08 एएन 8855 ने ठोकर मार दी। घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार दो लोगों की घटना स्थल में ही मौत हो गई तो वहीं दो को इलाज के लिए रायपुर ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। घटना इतनी जबरदस्त रही की कार के परखच्चे उड़ गए।वही घटना के बाद से ट्रक चालक फ़रार बताया जा रहा है। बता दें कि कार में कुल चार लोग सवार थे।जिसमें दो सगे भाई अहमद अली व रहमद अली है। वहीं एक का नाम संजू तिर्की और दूसरे का नाम प्रवीण सिन्हा है। इनमें तीन लखनपुरी तो वहीं 1 सरगुजा का बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रिसाली

क्र./चार/तीन/सं.क.वि./2021/01/545 — रिसाली दिनांक 31/03/2021

//अधिसूचना//

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पत्तिकर के स्व-निर्धारण हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें एवं जोनों का वर्गीकरण निर्धारण बाबत्।

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (1-क) के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उपधारा (1) में उल्लेखित प्रारूप संकल्प प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर या इसके पूर्व तैयार किया जायेगा तथा प्रस्तुत किया जायेगा, का प्रावधान है।

तत्संबंध में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अधीन छत्तीसगढ़ नगर पालिका (भवनों/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण नियम) नियम, 1997 के अंतर्गत नियम 6 के तहत् वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पत्तिकर के स्व-निर्धारण हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें एवं जोनो का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

1. जोनवार भूमियों के लिए वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें प्रति वर्गफुट में -

जोन क्रमांक	आवासीय दरें	व्यवसायिक दरें
जोन-1	रू. 10.08 प्रति वर्गफुट	रू. 12.60 प्रति वर्गफुट
जोन-2	रू. 5.04 प्रति वर्गफुट	रू. 6.30 प्रति वर्गफुट
जोन-3	रू. 2.52 प्रति वर्गफुट	रू. 3.78 प्रति वर्गफुट
जोन-4 (औद्योगिक)	-	रू. 3.14 प्रति वर्गफुट

2. सम्पत्तिकर निर्धारण के लिए जोन का वर्गीकरण - वर्तमान में प्रचलित संपत्तिकर के लिए आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक के अनुसार कुल 4 (चार) जोन में निर्धारित है। तद्नुसार जोन का वर्गीकरण निम्नानुसार हैं :-

जोन-1 (आवासीय)

वार्ड-63 में नवनिर्मित/निर्माणाधीन रूआबांधा कालोनी, तालपुरी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बी.एस.पी. क्षेत्र के रूआबांधा सेक्टर, मरोदा सेक्टर, रिसाली सेक्टर आवासीय क्षेत्र, वार्ड-60 एवं 61 रिसाली, मैत्रीकुंज, अवधपुरी, दयानगर, कल्पतरू, मधुमिता हाईट्स, इस्पात नगर, आकांक्षा कुंज, मैत्री प्लानिंग एवं डेवलपर्स, एन.एस.पी.सी.एल. कालोनी, प्रगतिनगर, आशीष नगर पूर्व एवं पश्चिम, चन्द्रविहार, गांधीनगर, कुसुमनगर, हिन्दनगर, लक्ष्मीनगर एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-1 (व्यवसायिक)

बी.एस.पी. क्षेत्र के रूआबांधा सेक्टर, मरोदा सेक्टर, रिसाली सेक्टर व्यवसायिक क्षेत्र कृष्णा टाकीज रोड 80 फीट एवं 100 फीट रोड, बी.एस.पी. के समस्त सेक्टर, रिसाली सम्पूर्ण व्यवसायिक, आजाद मार्केट (वार्ड 60 एवं 61) एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-2 (आवासीय)

रिसाली बस्ती पुराना आबादी झुग्गी झोपड़ी एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-2 (व्यवसायिक)

रूआबांधा बस्ती मार्केट, स्टेशन मरोदा मार्केट, उतई रोड मरोदा पर स्थित व्यवसायिक भवन, श्रमिक बस्तियों के मध्य स्थित व्यवसायिक भवन, रूआबांधा मार्केट, स्टेशन मरोदा, मार्केट उतई रोड पर स्थित व्यवसायिक भवन एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-3 (आवासीय)

वार्ड-63-रूआबांधा, वार्ड-44-टंकी मरोदा, वार्ड-43-स्टेशन मरोदा, वार्ड-42-नेवई, वार्ड-41-कुरूद, वार्ड-39-पुरैना, वार्ड-40-जोरातराई एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-3 (व्यवसायिक)

जोन-3 के अंतर्गत आने वाले आवासीय क्षेत्र के अंदर भाग में कर रहे व्यवसाय पर जोन-3 के अंतर्गत व्यवसायिक दर से गणना की जावेगी।

जोन-4 औद्योगिक :-

नगर पालिक निगम, रिसाली क्षेत्रान्तर्गत स्थित औद्योगिक संस्थान एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

3.- मोबाईल टावरों एवं भूमिगत केबल पर सम्पत्तिकर अवधारण के संबंध में-

भूमिगत केबल पर संबंधित जोन के अनुसार वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर से सम्पत्तिकर का अधिरोपण किया जावेगा।

1. भूमिगत केबल पर सम्पत्तिकर का अवधारण-भूमिगत केबल क्षेत्रफल पर उक्त क्षेत्र के संबंधित व्यवसायिक जोन के भूमि के वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर से सम्पत्तिकर का अवधारण किया जावेगा।

2. मोबाईल टावर पर सम्पत्तिकर का अवधारण- मोबाईल टावर पर प्रति टावर पचास हजार रू. वार्षिक सम्पत्तिकर का अधिरोपण निगम के सभी क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। आवासीय ऐसे भवन जिन पर मोबाईल टावर स्थापित हैं उक्त आवासीय भवन के स्वामी को स्वयं के रहवास के अंतर्गत मिलने वाली सम्पत्तिकर पर 50 प्रतिशत छूट की पात्रता नहीं होगी।

3. भवनों की छतों पर लगे हुए होर्डिंग्स पर संपत्तिकर का निर्धारण उक्त क्षेत्र के संबंधित व्यवसायिक जोन के वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर से संपत्तिकर देय होगा।

4- शिक्षा उपकर:- शिक्षा उपकर शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया जावेगा।

5- समेकितकर:- छत्तीसगढ़ राज्य पत्र रायपुर दिनांक 05.02.2010 के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्र. 633/7703/18/2009-छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ), (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाश कर व सामान्य अग्निकर की समेकित न्यूनतम दरों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। अर्थात सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाशकर, सामान्य अग्निकर की समेकित न्यूनतम दर सम्पत्तिकर दाता के लिये रू. 50/- प्रतिमाह एवं गैर सम्पत्तिकर दाता के लिये रू. 25/- प्रतिमाह किया गया है। तद्नुसार नगर निगम रिसाली में अवधारित किया जावेगा।

6- सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु भवन के निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर भवन की वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें निम्नानुसार हैं :

वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें (दरें प्रति वर्गफुट)

जोन क्र.	पक्का भवन (आर.सी.सी., या पत्थर की छत युक्त पक्के भवन)		आंशिक पक्का भवन (सीमेंट या लोहे की चादर/ कवेलू (टाईल्स) की छत युक्त पक्के भवन)		कच्चा भवन		खुली भूमि		मुख्य सड़क या बाजार में स्थित भूमि/भवन	
	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.
1	23.94	52.92	20.16	48.50	13.22	17.00	10.08	12.60	41.58	55.44
2	16.38	48.50	13.22	44.10	10.08	13.22	5.04	6.30	32.76	52.92
3	13.86	16.38	10.08	13.86	8.18	10.08	2.52	3.78	26.46	32.76
4 औद्योगिक जोन	-	16.38	-	12.60	-	8.82	-	3.14	-	-

7- अवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य पर वार्षिक सम्पत्तिकर की दरें निम्नानुसार हैं :-

क्र.	अवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य	वार्षिक सम्पत्तिकर की दरें (प्रतिशत में)
1	कवेलू छत सहित कच्चे मकान जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से अधिक न हो।	संपूर्ण छूट (नियमानुसार समेकित कर देय होगा)
2	ऐसी सभी भूमि और भवन, जिन पर स्वामित्व या कब्जा शहरी गरीबों का हो तथा जिनका निर्माण शहरी गरीबों के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल या नगर पालिक निकाय की किसी गृह निर्माण योजना के अंतर्गत हुआ हो।	संपूर्ण छूट (नियमानुसार समेकित कर देय होगा)
3	वार्षिक भाड़ा मूल्य 12000/- तक	6 प्रतिशत
4.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 12001/- से 20000/- तक	8 प्रतिशत
5	वार्षिक भाड़ा मूल्य 20001/- से 30000/- तक	10 प्रतिशत
6	वार्षिक भाड़ा मूल्य 30001/- से 50000/- तक	12 प्रतिशत
7	वार्षिक भाड़ा मूल्य 50001/- से 75000/- तक	15 प्रतिशत
8	वार्षिक भाड़ा मूल्य 75001/- से 100000/- तक	18 प्रतिशत
9	वार्षिक भाड़ा मूल्य 100001/- से अधिक	20 प्रतिशत

8- छूट - वर्तमान में अवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य/देय सम्पत्तिकर पर छूट निम्नानुसार है:-

1. बहुमंजिला भवनों के वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर में छूट- भू-तल की निर्धारण दर में प्रथम तल की गणना हेतु 10 प्रतिशत कम, द्वितीय तल की गणना हेतु 15 प्रतिशत कम, तृतीय तल की गणना हेतु 20 प्रतिशत कम, भू-गत तल की गणना हेतु 10 प्रतिशत कम।
2. भवनों के रख-रखाव के प्रयोजन से कुल वार्षिक भाड़ा मूल्य में पूर्ववत् 10 प्रतिशत की छूट यथावत।
3. भवन स्वामियों के स्वयं के निवास करने पर देय सम्पत्तिकर में छूट - पूर्ववत् अनुसार स्वयं के रहवास वाले भवन पर भवन स्वामी को कुल देय सम्पत्तिकर में से 50 प्रतिशत तक राशि की छूट देय होगी परन्तु यदि उक्त आवासीय भवन में मोबाइल टावर स्थापित है/भवन किराये पर दिये गए है तो ऐसी दशा में भवन स्वामी को उक्त छूट की पात्रता नहीं होगी।

4	भारत सरकार, राज्य सरकार या नगर पालिक निकायों की शैक्षणिक संस्थानें, पंजीकृत धर्मार्थ न्यास, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान।	संपूर्ण छूट
5	शैक्षणिक संस्थान जो उपरोक्त श्रेणी (4) के अधीन आच्छादित नहीं है।	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का 35) के अनुपालन के अनुपात में, पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अनुपालन की सीमा तक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
6	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995(1996 का 1) के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के स्वामित्व के अधीन भूमि और भवन	पच्चीस प्रतिशत।
7	नेत्रहीन व्यक्तियों, तथा तलाकशुदा/ परित्यक्ता (निराश्रित) महिला के स्वामित्व वाली भूमि और भवन	पचास प्रतिशत।

09- रिसाली क्षेत्रांतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र के स्वामित्व के भूमियों एवं भवनों का भी वर्ष 2021-22 के लिये निर्धारित दर अनुसार सम्पत्तिकर पुनर्निर्धारण किया जावेगा।

10- नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के अंतर्गत छूट- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सम्पत्तिकर निर्धारित अवधि के पूर्व राशि जमा करने वाले भवन/भूमि स्वामियों को निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

1. 01 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट ।
2. 01 जून 2021 से 31 जुलाई 2021 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट
3. 01 अगस्त 2021 से 30 सितम्बर 2021 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट।
4. 01 अक्टूबर 2021 से 30 नवम्बर 2021 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट ।

11- अधिभार -छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 138 (2) की उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा अंगीकृत किये गये संकल्प के आधार पर भूमि या भवन का प्रत्येक स्वामी, अपनी भूमि या भवन का वार्षिक भाड़ा मूल्य निर्धारित करेगा तथा इस निमित्त विहित प्रारूप में एक विवरणी के साथ संपत्तिकर की रकम, निगम द्वारा नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व जमा करेगा जिसमें असफल रहने पर, ऐसी दर से अधिभार जैसा कि निगम द्वारा अवधारित किया जाये, प्रभारित किया जाएगा। भवन स्वामी को वित्त वर्ष 2021-22 में बिना अधिभार के स्व-विवरणी प्रस्तुत करने एवं देय राशि जमा करने की अंतिम अवधि 31 मार्च 2022 तक निर्धारित है, वित्त वर्ष 2021-2022 के बाद अर्थात मार्च 2022 के पश्चात कुल देय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त

(1) नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2-क) के अंतर्गत - यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व स्वनिर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे, के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर चूक हेतु एक हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(2) नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (3) उपधारा (2) के अंतर्गत किये गये निर्धारण में निम्न स्तर पर दस प्रतिशत तक का अंतर आता है, परन्तु कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के साथ निर्धारित निर्धारण आदेश के दो सप्ताह के भीतर कमी की राशि जमा करें, तो शास्ति के प्रयोजन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तथा ऐसे मामलों में जहाँ अंतर दस प्रतिशत से अधिक हो, तो भूमि और/या भवन का स्वामी, यथास्थिति, कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच(अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त उसके द्वारा किये गये स्व-निर्धारण तथा निगम के द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा।

(3) नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की (4) उपधारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के विरूद्ध अपील मेयर-इन-कांउसिल में होगी तथा महापौर परिषद गठन न होने की स्थिति में धारा 5 अनुसार प्रशासक के समक्ष अपील कर सकते हैं।

परन्तु इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उपधारा (3) के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार मांगी गई राशि के सविरोध भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो।

उपरोक्तानुसार 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक नगर पालिक निगम, रिसाली क्षेत्र में स्थित समस्त भवन/भू-स्वामी/दखलदार पर प्रभावशील होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रिसाली

दिल्ली ओलिंपिक खेलों के निर्णायक के रूप में परिचय को बुलावा

भाटापारा। विद्या भारती के कुरास खेल के मुख्य कोच परिचय मिश्रा को दिल्ली ओलंपिक खेल के लिए रैफरी चुना गया है प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होने वाले दिल्ली ओलंपिक खेलों में इस वर्ष कुरास खेल को भी जोड़ा गया है जिसमें कुरास एसोसिएशन आफ दिल्ली दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है और इस दिल्ली ओलंपिक खेल में कुरास खेल के निर्णायक के रूप में छत्तीसगढ़ के भाटापारा निवासी परिचय मिश्रा को आमंत्रित किया गया है । कुरास असोसिएशन ऑफ दिल्ली के सचिव लाल सिंह ने बताया कि दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन से प्राप्त पत्र में इस साल कुरास खेल की भी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है यह प्रतियोगिता 2 से 7 अप्रैल तक दिल्ली में आयोजित होगी जिसमें कुरास खेल 5 व 6 अप्रैल को इंदिरागांधी फिजिकल कालेज में होगा जिसमें दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप वत्स के द्वारा परिचय मिश्रा को कुरास खेल का निर्णायक बनाया गया है यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है इसके लिए परिचय मिश्रा ने दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष कुलदीप वत्स भारतीय कुरास महासंघ के लाल सिंह तकनीकी संचालक चंद्रपाल सैनी तथा आयोजनकर्ता रविंदर दहिया को धन्यवाद ज्ञापित किया है। विधायक शिवरतन शर्मा ने हर्ष व्यक्त करते हुए परिचय को बधाई दी वही सुनील यदु,सुरेश मिश्रा,पुरषोत्तम यदु,गोपाल देवांगन,योगेश अनंत वैभव तिवारी,शेखर ठाकुर अविनाश शर्मा विवेक राज सिंह दीपक कनौजे,भूपेंद्र साहू,कुलवंत मांडे, राजीव मिर्झा,लक्की पंजवानी,आलोक देवांगन,अभिषेक मिश्रा,कृष्णकांत मिश्रा,कृष्णकांत कुर्रे, देवेश गुप्ता आदि ने बधाई शुभकामनाएं दी।

शिक्षक प्रकाश तिवारी हुए सेवानिवृत्त

भाटापारा। तरेंगा गोगिया पारा स्कूल के प्रधान पाठक प्रकाश चंद्र तिवारी 31 मार्च दिन बुधवार को सेवानिवृत्त हुए इस दौरान उन्हें एक कार्यक्रम आयोजित कर स्कूल में विदाई दी गई कार्यक्रम में स्कूल के सभी शिक्षक गण तरेंगा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि गण मौजूद थे सभी लोगों ने प्रकाश चंद तिवारी के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है । विदाई समारोह कार्यक्रम में प्रकाश चंद तिवारी का पूरा परिवार भी मौजूद था। इस अवसर पर सेवानिवृत्त हो रहे प्रधान पाठक प्रकाश चंद तिवारी ने भावुक होते हुए अपने सभी शिक्षको और स्टाफसे मिले सहयोग के लिए उनका अभार जताया ।

45 साल से ऊपर वालों को लगने लगा कोविड इंजेक्शन

भाटापारा। 45 साल से ऊपर वालो को गुरुवार 1 अप्रेल से कोविड 19 का इंजेक्शन लगना चालू हो गया है।केंद्र सरकार के निर्णय और जिला प्रसाशन के आदेश के बाद शहर पर फ़िलहाल 3 स्थानों पर कोविड 19 का इंजेक्शन लगाया जा रहा है।

शौच के लिए गए ग्रामीण पर जंगली भालू ने किया हमला

खरसिया। शौच के लिए गए हुए ग्रामीण को जंगली भालू ने पीछे की ओर से हमला करते हुए बुरी तरह घायल कर दिया। घायल को उपचार हेतु खरसिया के सिविल अस्पताल में लाया गया। यह घटना खरसिया थाना अंतर्गत ग्राम पतरापाली की है। जैसे-जसे गर्मी बढ़ रही है पानी और भोजन की तलाश में जंगली भालू पहाड़ों से उतर कर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं जिसके कारण कई बार मनुष्यों से उसका सामना होने पर वह मनुष्यों को घायल भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया 1 अप्रैल को खरसिया थाना अंतर्गत ग्राम पतरापाली में हुआ।प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पतरापाली निवासी रामायण चौहान पिता बैसाखूलाल चौहान उम्र 24 वर्ष 1 अप्रैल की सुबह शौच के लिए खेतों की ओर गया था। ग्रामीण सोच के लिए बैठा हुआ था कि इस बीच एक जंगली भालू ने पीछे की ओर से उस पर हमला कर दिया।भालू के हमलें में उसके बायां जंघा एवम कमर के निचले का हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया। इस घटना से हतप्रभ ग्रामीण इससे पहले कि संभल पाता भालू उसे बुरी तरह घायल कर भाग खड़ा हुआ। ग्रामीणों ने घायल युवक को किसी तरह खरसिया के सिविल अस्पताल में उपचार हेतु लाया जहां डॉ सजन अग्रवाल द्वारा इलाज किया गया। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीणों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

रजनीकांत को दादा ...

दिलों पर राज किया है। उनके द्वारा 1992 में अभिनीत 'अन्नामलाई' मेरी सबसे पसंदीदा फ़िल्म रही है। श्री जावडेकर ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार के चयन समिति के सदस्यों आशा भोसले, सुभाष घई, मोहनलाल, शंकर महादेवन और बिस्वजीत चटर्जी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पुरस्कार चयन समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से श्री रजनीकांत के नाम का समर्थन किया जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया।

कोरोना से 24 घंटों में रिकॉर्ड ...

1,62,927 हो गयी है। देश में रिकवरी दर आंशिक घटकर 93.89 फीसदी और सक्रिय मामलों की दर बढ़कर 4.78 प्रतिशत हो गयी है जबकि मृत्यु दर घटकर 1.33 फीसदी रह गयी है।

पोलिंग बूथ पहुंच ममता ने...

पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद एक पोलिंग बूथ पर पहुंची। टीएमसी के लोगों का कहना है कि उन्हें वोटिंग करने से रोका जा रहा है।

मुख्तार को लाने वाली...

डॉ. अलका राय के अस्पताल श्याम संजीवनी के नाम से रजिस्टर्ड है जिसका नंबर बाराबंकी जिले से जारी किया गया है।

इस सम्बंध में डॉ राय ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ष 2013 में मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि द्वारा हॉस्पिटल के नाम से एंबुलेंस संचालित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर इत्यादि मांगे गए थे। जिसको उनके हॉस्पिटल के निदेशक द्वारा पूरा किया गया था लेकिन उसके बाद वह एंबुलेंस कहां आया, कहां गया जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

अलग अलग पिट्ठू बैग में रखे 16 किलो गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

मैनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

नवप्रदेश संवाददाता

मैनपुर। मैनपुर पुलिस ने आज गुरूवार को शाम 4 बजे के आसपास 16 किलो गांजा मादक पदार्थ की तस्करी करते कालाहांडी उड़ीसा निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है और आरोपी के खिलाफ धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट अपराध पंजीबध्द कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के दिशा निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर रूपेश कुमार डाण्डे के नेतृत्व में क्षेत्र मे लगातार अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्राप्त होने पर आज दिनांक 01.04..2021 को मुखबीर की सूचना पर मां शारदा ट्रैवल्स बस क्रमांक सीजी 03 ई 0172 में बताये हुलिया अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति बस मे सवार होकर अपने पास एक पिट्ठू बैग व एक थैला मे अवैध रूप से गांजा जैसे मादक पदार्थ अपने पास रखे है जो रायपुर की ओर जा रहा है एवं बोलचाल में इस क्षेत्र के व्यक्ति नही लग रहा है। मुखबीर की सूचना पर मैनपुर पुलिस ने मैनपुर मुख्य मार्ग से लगे बस स्टैण्ड मैनपुर में बस को रूकवाया गया बस मे चढकर देखने पर मुखबीर के बताये हुलिया के व्यक्ति बस मे बैठे मिला जिनसे पूछताछ करने पर अपने पास रखे एक पिट्ठू बैग व एक थैला वाला व्यक्ति अपना नाम नरेश मेहर पिता विश्वमित्र मेहर उम्र 23 साल साकिन बलदिया माल थाना जुनागढ़ जिला कालाहाण्डी उड़ीसा का रहने वाला बताया एवं अपने पास पिट्ठू बैग व एक थैला को खोलकर देखने पर भूरे रंग के प्लास्टिक टेप से लिपटा हुआ 8-8 किलो गांजा होने पर धारा 91 जा0फौ0 के तहत वैध कागजात प्रस्तुत करने नोटिस दिया गया कोई भी कागजात नही होना बताने पर एवं आरोपी के विरूध्द पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने एवं मादक पदार्थ तस्करी की धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबध्द किया गया प्रकरण अजमानतीय होने से 15 दिवस के न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है जब्त गांजे की कीमत 80 हजार रूपये लगभग बतायी जा रही है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी मैनपुर सत्येन्द्र श्याम, सउनि हिमांचल ध्रुव, यदुराज ठाकुर, प्रधान आरक्षक दिलीप सिनहा, आरक्षक रविकांत ठाकुर, मेलाराम टंडन, चन्द्रशेखर ध्रुव, भुपेन्द्र साहू की सराहनीय भूमिका रही है। ज्ञात हो कि गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, एसडीओपी पुलिस मैनपुर रूपेश डाण्डे एवं मैनपुर पुलिस की लगातार सक्रियता के चलते अबतक अवैध गांजा व हीरा तस्करी करते दर्जनो लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके है और अवैध तस्करी करने वालो मे दहशत देखी जा रही है।

एक ही दिन में जिले में 100 से अधिक कोरोना मरीज मिले

- **मरने वालो की संख्या 168 पहुँची**

भाटापारा। जिले में एक ही दिन में कल कोरोना के 100 से ऊपर मरीज मिलने के बाद भी लोगो में इस समय जागरूकता की कमी देखि जा रही है ,जो निश्चित ही प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है, इस बीच नगर के युवा की मौत के बाद जिले में कोरोना सहित अन्य बिमारिओ से मरने वालो की संख्या 168 तक पहुँच गई है।

कोरोना ने एक बार फिर जिले में दस्तक दे दी है। जिले के विभिन्न नगर कस्बो में हुई कोरोना जाँच के बाद 101 लोगो के पाजिटिव आने की खबर से नागरिक जरूर इस खबर से चिंतित नजर आ रहे है लेकिन आज भी विभिन्न नगर कस्बो गांव में जागरूकता की कमी स्पष्ठ दिखाई दे रही है।जिला प्रशासन द्वारा लगातार लोगो को जागरूक कर सावधानी बरतने विभिन्न उपायो को करने आगाह भी किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद लोग निडर और बेफिक्र होकर बिंदास होकर घूमते नजर आ रहे है उन्हें ना तो अपनी चिंता दिख रही है और ना ही अपने परिजनो की।

बलौदा बाजार भाटापारा जिले में कल मिले कोरोना के 101 मामलो के बाद इस जिले के करीब 411 लोग विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे है, इस बीच भाटापारा के एक 54 वर्षीय युवक की कोरोना सहित अन्य बीमारी से हुई मौत के बाद इस जिले में मरने वालो की संख्या में इजाफा होते हुए 168 तक पहुँच गया है याने के एक साल में हर दिन के बाद एक की मौत ये आकडे बता रहे है।स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई भी कड़ाई यहाँ देखने को नही मिल रही है जिसके चलते नागरिक और व्यापारी भी बिल्कुल निस्फिक्री के साथ लेनदेन करते दिखाई दे रहे है। बहरहाल इस जिले के बढ़ते हालात जिला प्रशासन को कड़े निर्णय लेने मजबूर तो कर रहे है अब देखना यह होगा प्रशासन हालत को काबू पाने कठोर निर्णय कब लेता है।

कंटेनमेंट जोन में प्रतिष्ठान खुले रखने पर गुड़ाखू लाइन के 5 व्यावसायिक प्रतिष्ठान निगम ने किए सील

राजनांदगांव। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं उसके प्रसार के रोकथाम हेतु नगर निगम सीमाक्षेत्र में संचालित समस्त प्रतिष्ठाने, दुकाने, ठेला व गुमटी आदि के संचालकों को शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन को सुनिश्चित कराये जाने जिलाधीश के निर्देश पर आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने दल का गठन किया है। गठित दल द्वारा प्रतिदिन निगम सीमाक्षेत्र में घुमकर व्यवसायियों से सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क का उपयोग करने समझाईस देने एवं नहीं मानने की स्थिति में अर्थ दण्ड वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। इसी कडी में आज उपायुक्त श्री सुदेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दल ने कंटेटमेंट जोन गुड़ाखू लाईन के 05 व्यवसायिक प्रतिष्ठाने द्वारा दुकान खूली रखकर व्यवसाय करने पर दुकान सील करने की कार्यवाही की गयी। साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू का उलंघन करने पर कल दिनांक 31 मार्च को मानव मंदिर चौक में घुमते पाये जाने पर 10 व्यक्तियों से 48 सौ रूपये अर्थदण्ड वसूला किया गया।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण बढते जा रहा है, जिससे बचाव के लिये नागरिकों एवं व्यवसायियों से सावधानी बरतने निगम की टीम द्वारा समझाईस दी जा रही है। समझाईस देने के बाद भी कुछ व्यवसायियों द्वारा शासन के निर्देशो का पालन नहीं किया जा रहा है और बिना मास्क का उपयोग किये, सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने के अलावा कंटेंटमेंट जोन में कुछ प्रतिष्ठानों के संचालक द्वारा अपना प्रतिष्ठान चालू रखा जा रहा है।

अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में विपक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल में हुई नियुक्ति

- **युवा संघर्षशील राजापडाव क्षेत्र के युवा सरपंच को मंडल उपाध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी**

मैनपुर। विकासखंड मुख्यालय मैनपुर के 8 ग्राम पंचायत वाली आदिवासी बाहुल्य इलाका राजा पड़ाव क्षेत्र के मिलनसार जन हितेषी कार्यों में हमेशा हमसफ़र बन के कार्य करने वाले सरपंच संघ मैनपुर के उपाध्यक्ष व ग्राम पंचायत अड़गड़ी के सरपंच कृष्ण कुमार नेताम को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अमित साहू के अनुमति एवं गरियाबंद जिला प्रभारी राकेश यादव, जिला अध्यक्ष राजेश साहू, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप की सहमति एवं मंडल प्रभारी छत्तर सिंह ठाकुर एवं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष दुलार सिन्हा एवं जिला युवा मोर्चा मंत्री एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष घनश्याम मरकाम के अनुशंसा से युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष महेश कश्यप द्वारा कृष्ण कुमार नेताम को अहम जिम्मेदारी देते हुए युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया है। जिससे सैकड़ों उनके चहेतों इष्ट मित्रों सहित युवा साथियों में उत्साह का माहौल है।

नवनियुक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार नेताम ने अहम जिम्मेदारी मिलने पर प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के विचार और सिद्धांत को अधिक से अधिक युवाओं तक व्यापक रूप से प्रसार और प्रचार के लिए अहम जिम्मेदारी व जवाबदेही मिली है।मोदी सरकार के उपलब्धियों सहित शोषित पीडि़त वंचित समुदाय के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे अभिनव कार्य को जन जन तक व्यापक रूप से प्रसारित के लिए अहम जिम्मेदारी दी गई है। उसमें निश्चित तौर से खरे उतरते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में और अधिक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए मैं कृत संकल्पित रहूंगा।

ज्ञात हो कि आगामी बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा चुनाव फिर से भाजपा की झोली में, इस पर पैनी नजर के साथ भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा गांव समाज में नेतृत्व भूमिका में अपना अहम योगदान देने वाले संघर्षशील,जुझारू,मेहनतकश पार्टी के हित में ईमानदारी के साथ कार्य करने वाले युवाओं को अहं जिम्मेदारी देते हुए सुदूर अंचलों के गांव में भी मोदी सरकार के उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो तैयारियां की जा रही है। कहीं न कहीं आगामी विधानसभा चुनाव एक बार फिर रोमांचक,आक्रमक नजर आएगी।

विकासखंड मुख्यालय मैनपुर सहित राजा पड़ाव क्षेत्र के 65 गांव में बुजुर्ग सियान एवं युवाओं के बीच में बेबाकी से अपनी बात को सरल ढंग से रखने वाले युवा सरपंच कृष्ण कुमार नेताम को भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल मैनपुर के द्वारा मंडल उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी दिये जाने पर निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव का सैकड़ों युवाओं में एक नया मंजिल मिलने जैसा नजर आ रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें सैकड़ों इष्ट मित्रों सहित पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हृदय से बधाइयां संप्रेषित किए हैं।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं SHUKLA JITENDRAKUMAR KANHAIYA LAL S/O KANHAIYA LAL SHUKLA निवासी PT. DEENDAYAL UPADHYAY WARD NO.10 MAGARLOD, DIST. DHAMTARI (C.G) यह शपथ करता हूं कि मैने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम JITENDRA KUMAR SHUKLA S/O KANHAIYA LAL SHUKLA रख लिया हूं। अत: आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम JITENDRA KUMAR SHUKLA S/O KANHAIYA LAL SHUKLA से ही जाना पहचाना जावे।

JITENDRA KUMAR SHUKLA
PT. DEENDAYAL UPADHYAY WARD NO.10 MAGARLOD, DIST. DHAMTARI (C.G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं TIWARI RANJANA ANIL KUMAR W/O JITENDRA KUMAR SHUKLA निवासी H.NO. 239 PT. DEENDAYAL UPADHYAY WARD NO.10 MAGARLOD, DIST. DHAMTARI (C.G.) यह शपथ करती हूं कि मैने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम RANJANA SHUKLA W/O JITENDRA KUMAR SHUKLA रख ली हूं। अत: आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम RANJANA SHUKLA W/O JITENDRA KUMAR SHUKLA से ही जाना पहचाना जावे।

RANJANA SHUKLA
H.NO. 239 PT. DEENDAYAL UPADHYAY WARD NO.10 MAGARLOD, DIST. DHAMTARI (C.G.)

कार्यालय नगर पालिका परिषद सरायपाली जिला- महासमुंद (छ.ग.)

Email id- cmonppsaraipali@gmail.com

क्रमांक/1215/न.पा.प./लो.नि.वि./2021-22 सरायपाली, दिनांक 30.03.2021

मैन्युअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिका परिषद सरायपील क्षेत्रांतर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु अधिकृत विक्रेता/ निर्माता/ फर्म से मुहरबंद निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

01. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 20.04.2021 को 5.30 बजे अपरान्ह तक।
02. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि - 22.04.2021 को 5.30 बजे अपरान्ह तक।
03. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 30.04.2021 को 3.00 बजे अपरान्ह तक।
04. निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि - 30.04.2021 को 4.00 बजे अपरान्ह से।

क्र.	कार्य विवरण	अनु. लागत (रु. लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	अमानत राशि
1	2	3	4	5
01	जल प्रदाय सामग्री	15.00	750/-	15000/-
02	जलप्रदाय योजना के तहत विभिन्न मोटर पंपों जैसे सबमर्सिबल तथा मोनोब्लॉक पंप एवं स्टार्टर मरम्मत कार्य	15.00	750/-	15000/-
03	जे.सी.बी. मशीन किराया	15.00	750/-	15000/-
04	विद्युत मरम्मत/संधारण सामग्री प्रदाय	15.00	750/-	15000/-
05	प्रिटिंग स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर सामग्री सप्लाई/ मरम्मत कार्य	10.00	750/-	10000/-
06	टेंट, कुर्सी, माईक सेट किराया	10.00	750/-	10000/-
07	नलकूप खनन/हैण्डपंप स्थापना वार्ड क्रं. 1 से 15 तक	15.00	750/-	15000/-

उपरोक्त निविदा में प्रदाय की जाने वाली सामग्री/एन.आई.टी. का विस्तृत विवरण नगर पालिका कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सरायपाली

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भाटापारा (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष 2020-21
ग्राम- भाटापारा तह. भाटापारा

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को ईश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक पुरानिक यादव पिता रामलाल यादव जाति रावत निवासी नेहरू वार्ड भाटापारा तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के द्वारा अपने दादा सामलाल यादव (मृतक के पिता अभेराम यादव) की मृत्यु दिनांक 10/8/1964 (स्थान) नेहरू वार्ड भाटापारा का मृत्यु पंजीयन करने हेतु रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु मुख्य नगर पालिका परिषद भाटापारा तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.) को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के नियम ((3) के तहत निर्देश देने हेतु शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र एवं सरपंच का प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है, तथा दिनांक 08/04/2021 को सुनवाई हेतु नियत है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा-आपत्ति पेश करना हो तो नियत पेशी तारीख 08/4/2021 तक स्वयं या अपने अभिभाषक या वैध प्रतिनिधि के माध्यम से दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 22/03/21 को न्यायालय के पद मुहर सहित जारी किया गया।

सील
कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भाटापारा (छत्तीसगढ़)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं VISHNU AGRAWAL S/O BANWARI LAL AGRAWAL निवासी 20A/1, NEHRU NAGAR (WEST) NEAR WATER TANK, GURUDWARA ROAD SUPELA BHILAI, DISTT.- DURG (C.G.) 490020 यह शपथ करता हूं कि मैने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम VISHNU KUMAR AGRAWAL S/O BANWARI LAL AGRAWAL रख लिया हूं। अत: आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम VISHNU KUMAR AGRAWAL S/O BANWARI LAL AGRAWAL से ही जाना पहचाना जावे।

VISHNU KUMAR AGRAWAL
20A/1, NEHRU NAGAR (WEST) NEAR WATER TANK, GURUDWARA ROAD SUPELA BHILAI, DISTT.- DURG CG 490020

न्यायालय तहसीलदार अर्जुंदा, जिला बालोद (छ.ग.)

उद्घोषणा

ई.कोर्ट रा.प्र.क्र. 202103243200064
ब/121 वर्ष 2020-21
क्रमांक/415/प्र.तह./2020-21
अर्जुंदा, दिनांक 27/3/2021

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक ध्रुव कुमार साहू पिता स्व. दयालाल साहू जाति तेली, निवासी ग्राम रेंहची, तह. अर्जुंदा, जिला बालोद द्वारा ग्राम झींका प.ह.नं. 22 स्थित भूमि ख.नं. 136 रकबा 0.08 हे. भूमि आवेदक एवं अन्य के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त वादभूमि से संबंधित किसान किताब गुम हो जाने के कारण द्वितीय प्रति किसान किताब हेतु आवेदन पत्र के साथ बी-1 नकल, बकाया नहीं प्रमाण पत्र, चालान की प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर इस न्यायायलय में प्रस्तुत किया है।

अतएव उक्ताशय के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा/आपत्ति पेश करना है तो वह इस न्यायालय में पेशी दिनांक 12/04/2021 को न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि समाप्ति पश्चात आए किसी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27/3/2021 को मेरे सील मुहर के साथ जारी किया गया।

सील
तहसीलदार
अर्जुंदा, जिला-बालोद (छ.ग.)

कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला बालोद (छ.ग.)

जनपद पंचायत के सामने, नयापारा रोड बालोद, पिन कोड-491226
फोन नं. 07749-223160, फैक्स नं. 07749-223160 ई-मेल - ddvsbalo.cg@nic.in
क्रमांक-5008/डी.एम.एफ./निविदा/2020-21 बालोद, दिनांक 31.03.2021

अल्पकालीन निविदा संशोधन सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा क्र. 4639-42/भण्डार/डी.एम.एफ. दिनांक 15.03.2021 के द्वारा Bulk milk cooler capacity 1000 lit. क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया गया था जिसमें निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 31.03.2021 रखी गई थी जिसे बढ़ाकर 08.04.2021 किया जाता है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 08.04.2021 शाम 3 बजे एवं खोलने की तिथि 08.04.2021 को शाम 4 बजे निर्धारित की जाती है। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी नियम एवं शर्तें जिले के वेबसाइट balod.gov.in में अथवा कार्यालयीन दिवस एवं समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।

जी-60015/2
उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवाएं,
जिला बालोद (छ.ग.)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

न्यूज गैलरी

शास. बालगृह परिसर में पोषण वाटिका

कवर्धा। कृषि विज्ञान केन्द्र नेवारी एवं मनरेगा के सहयोग से बच्चो द्वारा शासकीय बालगृह परिसर मे पोषण वाटिका लगाया गया है। पोषण वाटिका से विभिन्न सब्जियां जैसे बैगन, भिन्डी, टमाटर, कुनदरू, मिर्ची, धनिया, कोचई, कददू, मुनगा, बरबटटी, लौकी, सेम, लाल भाजी पालक भाजी, भुटटा, केला फल एवं सब्जिया प्राप्त हो रहे है। बालगृह परिसर हरियाली से सुशोभित हो रहा है। पोषण वाटिका का देखरेख संस्था के बच्चो एवं कर्मचारियो द्वारा किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सदस्य किशोर न्याय बोर्ड द्वारा संस्था के निरीक्षण के दौरान पोषण वाटिका से सुशोभित संस्था परिसर को देखकर संस्था की हरियाली का खूब सराहना करते हुए खुशी व्यक्त किया गया। बालको को संस्था को हमेशा हरियाली से शोभायमान रखने एवं अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढने हेतु निरन्तर प्रयास करते रहने प्रोत्साहित किया गया।

अधिवक्ता संघ के निर्वाचित अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह

खरसिया। अधिवक्ता संघ खरसिया के नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह तहसील कार्यालय स्थित सभा कक्ष में 31 मार्च को संपन्न हुआ। विदित हो कि अधिवक्ता संघ खरसिया का चुनाव 19 मार्च 2021 को सम्पन्न हुआ था। जिसका परिणाम आने के बाद अध्यक्ष भोगीलाल यादव, उपाध्यक्ष - रफीक मोहम्मद, सचिव - राजेन्द्र डनसेना, कोषाध्यक्ष - नागेश राठौर तथा सहसचिव - राजकुमार पटेल पद पर विजयी हुए। उक्त सभी विजयी पदाधिकारियों का 31 मार्च को शाम - 4 बजे, तहसील स्थित सभाकक्ष में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रमाशंकर प्रसाद (जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रायगढ़), राजेन्द्र पांडेय (अध्यक्ष अधिवक्ता संघ रायगढ़) उपस्थित हुए। अतिथियों ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य केन्द्र में 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों ने लगवाया टीका

मैनपुर। शासन के निर्देशानुसार आज एक अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जिसके लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया हैं कि 45 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए मैनपुर विकासखंड में व्यापक योजना बनाई गई है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ गजेन्द्र ध्रुव ने बताया कि कोरोना के बढते मामलो को रोकने के लिये टीकाकरण ही प्रभावी माध्यम है टीकाकरण के दूसरे चरण में 45 वर्ष उम्र से अधिक उम्र के व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है 'वैक्सीनेशन के लिए कोविड-टीकाकरण केंद्र में अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, के साथ पहुंचकर कोविड-19 के टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन करवाकर टीकाकरण अवश्य कराएं वैक्सीन के विपरीत प्रभाव नगण्य हैं और इससे संक्रमण से सुरक्षा मिलेगी वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन आवश्यक रुप से करें, मास्क का उपयोग करें एवं सर्वाजनिक स्थानों पर फिजिकल दूरी बनाए रखें। उन्होने बताया कि वर्तमान में मैनपुर विकासखंड में 9 केन्द्रो में टीकाकरण जारी है जल्द ही 5 और सेन्टर में वैक्शिनेशन का कार्य शुरू हो जायेगा आज एक अप्रैल को पूरे मैनपुर विकासखंड में कुल 400 लोगो को लगाया गया है।

डॉ एपीजे कलाम ओपन रोवर क्रू ने किया टंकी सफाई का काम

खरोरा। 28 मार्च को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ जिला संघ रायपुर से सम्बद्ध डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ओपन रोवर क्रूके रोवर लीडर श्री असगर खान जी के मार्गदर्शन में 3 रोवर और भरत देवांगन शा.उच्च.मा.विद्यालय खरोरा के 2 स्काउट मिलकर स्वच्छ पेय जल हेतु स्कूल बनाया टंकी की सफाई व आस पास की सफाई कार्य किया गया यह पुरा सेवा कार्य सुश्री शाहिना परवीन जी जिला प्रशिक्षण आयुक्त गाइड के कुशल नेतृत्व मे संपन्न हुआ। इस कार्य में डॉक्टर ए पी अब्दुल कलाम रोवर क्रू के रोवर सत्यनारायण देवांगन, राज देवांगन, रूपेंद्र देवांगन के साथ भारत देवांगन श उ मां विद्यालय के स्काऊट विनायक वर्मा , फुलेश्वर सामिल हुए इनके पावन कार्य के लिए जिला मुख्य आयुक्त श्री सुरेश शुक्ला जी,जिला आयुक्त स्काउट श्री अशोक नारायण बंजारा जी जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला सचिव श्री मृत्युंजय शुक्ला जी,जिला संगठन आयुक्त द्वे श्री मनोज कुमार वर्मा श्रीमती अभिलाषा शुक्ला जी ने बधाई व शुभकामनाएं दिए।

एसडीएम व तहसील कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों की कोरोना जांच

गरियाबंद। जिले में बढ़ते हुये कोरोना संक्रमण के ग्राफको देखते हुये जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर है। जिले के दो वरिष्ठ अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय की समस्त गतिविधियां 48 घंटे के लिये स्थगित कर दी गई है। जिले में धारा 144 लागु है। इस सबके बीच आज एसडीएम कार्यालय तथा तहसील कार्यालय के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई। एनएचएम के विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक के अनुसार कुल 39 लोगों की कोविड 19 जांच, एंटीजन व आरटीपीसीआर दोनों विधि से की गई है। जिसकी रिपोर्ट एक या दो दिन में प्राप्त हो जायेगी। तहसील कार्यालय परिसर में अधिकारियों कर्मचारियों की कोरोना जांच के दरमियान कार्यालय का कामकाज कई घंटे तक प्रभावित रहा।जांच के दौरान एसडीएम भूपेंद्र कुमार साहू मौके पर उपस्थित रहे।

कांडेकेला पंचायत भवन खंडहर, चौराहा के भवन में बैठक के लिए मजबूर सदस्य

नवप्रदेश संवाददाता

देवभोग। सरकार द्वारा 14वें वित्त मद के तहत लाखों रुपए आवंटित किया जाता है। ताकि ग्रामीणों के मनसा अनुरूप कार्य कराया जाए लेकिन कांडेकेला पंचायत के जिम्मेदार अपने पंचायत भवन को तक मरम्मत नहीं करा पाए हैं। जिसके चलते पूरे ग्रामीण ग्राम सभा एवं अन्य बैठक पर शामिल होकर अपनी बात नहीं रख पाते क्योंकि पंचायत भवन की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है जहां बैठना अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के समान कहा जाता है । बावजूद इसके जिम्मेदार गुणवत्ता पूर्वक मरम्मत कराने को लेकर गंभीर नहीं है। बल्कि मलाईदार काम के लिए लाखों रुपए सरपंच सचिव ने आहरण व्यारा नियारा कर खानापूर्ति कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी अनुसार सरपंच सचिव ने सड़क निर्माण के लिए 241000 नाली निर्माण के लिए दो लाख और चबूतरा निर्माण पर 80000 सहित साफसफाई के लिए 20 20 हजार निकालकर खर्च करने की बात कही जाती है। लेकिन कराए गए निर्माण कार्य की पोल वर्तमान में खुल रही है। इसके साथ गांव में गंदगी का आलम भी देखने को मिल रहा है। नाली गंदा पानी से लबालब भरा हुआ है। जहां कीड़े मकोड़े का जमावट काफी ज्यादा होता है। और इसके चलते अक्सर ग्रामीण मलेरिया बुखार जैसे अन्य बीमारी का शिकार हो रहे हैं। जबकि पिछड़ा क्षेत्र होने के चलते स्वच्छता को लेकर प्रमुखता के साथ सरपंच सचिव को ध्यान देने की बात ग्रामीणों द्वारा कहने के अलावा अधिकारियों द्वारा भी बारोबार कहा जाता है। लेकिन कागज पर साफ सफाई बताकर गांव को बदहाल स्थिति में छोड़ रखे हैं। मतलब सरकार द्वारा लाखों-करोड़ों रुपए ट्रैवल ब्लॉक को देने के बाद भी गांव की दशा और दिशा बदल नहीं पाई है ।आज भी भोले भाले गांव के लोगों को गंदगी के बीच रहना पड़ता है। मुख्य मार्ग किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन सड़क किनारे पसरी कचरा को साफ करने के लिए जिम्मेदार जहमत नहीं उठा रहे है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से गांव की नाली नलकूप सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। मगर एक बार भी सरपंच सचिव द्वारा साफ सफाई नहीं कराया है । सिर्फ 14वें मद के तहत गांव पर कोराना काल में राशन सैनिटाइजर मार्क्स वितरण कर राशि खत्म होने की बात कही जाती है । तभी ग्रामीणों द्वारा लगातार गांव की साफसफाई की मांग को लेकर सरपंच सचिव द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। सबसे दुर्भाग्य कि बात तो यह है। कि गांव की साफसफाई नहीं होने के चलते अक्सर ग्रामीण बीमारी से ग्रसित हो रहे है। जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीण 14 वे वित्त मद के तहत आवंटित राशि की जांच करने की मांग कर रहे हैं। ताकि कागज में कराए गए कार्य की पुष्टि हो सके और जिम्मेदारों पर पंचायती अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाए बकायाता इसके लिए कुछ ग्रामीण जिला पंचायत सीईओ से शिकायत करने की बात कह रहे हैं।

> पंचायत भवन में राशन सामग्री भी रखा जाता है और हम बीच-बीच में मरम्मत करते हैं और रही बात सफाई की तो 6 महीना पहले ही गांव में साफसफाई कर आया है और ग्रामीणों द्वारा लगाए गए बंदरबांट करने का आरोप निराधार है
>
> **दुरूप सिंह सोनवानी,** सचिव, ग्राम पंचायत कांडेकेला

जनपद पंचायत को उत्कृष्ट कार्य हेतु मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा जनपद पंचायत गरियाबंद

गरियाबंद । पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत वर्ष 2019-20 का राष्ट्रीय दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जनपद पंचायत गरियाबंद को प्रदाय किए जाने की घोषणा की गई है 7 यह राष्ट्रीय सम्मान जनपद पंचायत गरियाबंद को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तत्परता से जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने व पंचायत स्तर पर बेहतर सुविधा मुहैया प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है 7 विदित हो कि कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर के सतत मार्गदर्शन व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रकांत वर्मा के कुशल नेतृत्व में जनपद पंचायत गरियाबंद क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छता,नागरिक सेवाओं के तहत पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट, बुनियादी ढांचा ,प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ,दुर्बल वर्ग की सेवा, महिला सशक्तिकरण, एससी, एसटी, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ व समुदाय आधारित संगठन इत्यादि क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है 7 गरियाबंद जिले के लिए इस गौरवमयी पल व राष्ट्रीय सम्मान हेतु कलेक्टर व सीईओ जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत की सीईओ श्रीमती शीतल बंसल व समस्त जनपद टीम को बधाई व शुभकामनाएं दी है 7 ज्ञात हो कि यह पुरस्कार नागरिक सेवाओ और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए देशभर में प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थानों द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्य की मान्यता के लिए सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/ जनपदों/जिला को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।

शास. संपत्ति पर हाथ साफ करने वाले चोरों के गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा

03 आरोपियों के कब्जे से 100000/ रुपए के शासकीय संपत्ति विद्युत उपकरण तथा परिवहन के लिए इस्तेमाल कर रहे वाहन को पुलिस ने किया जप्त

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा समय-समय पर मीटिंग आयोजित कर सरहदी राज्य की ओर जाने वाले तथा सरहदी राज्य मध्य प्रदेश से आने वाले वाहनों की बारीकी से जांच करने के लिए जिले के हाईवे में स्थित थाना एवं चौकी प्रभारियों को अवैध परिवहन रोकने निर्देशित किया गया था इसी तारतम्य में चौकी पौड़ी प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक श्री संदीप चौबे के द्वारा दिनांक 31/03/2021 को रात्रि में रात्रि गस्त के दौरान चौकी पौड़ी क्षेत्र के कस्बा, देहात में मुस्तैदी से पेट्रोलिंग किया जा रहा था, कि सुबह 04/00 बजे (दिनांक 01.04.2021) को एक छोटा हाथी चार पहिया वाहन क्रमांक सीजी 07/सी ए/3571 मे संदिग्ध हालत में कुछ लोग सफर कर रहे थे जिन पर पुलिस टीम को शंका होने पर उक्त वाहन को रूकवाकर विधिसंगत् तलाशी लेने पर उक्त वाहन के डाला में 01 नग 25 केबी का ट्रांसफार्मर (कुल वजन 310 किलो), 01 नग लोहे का कंजेर्वेटर, 01 नग लोहे का सपोर्ट पट्टी, 04 नग फारमर, ऐलुमिनिय बाइडिंग तार 09 बंडल, 03 नग लोहे का पाना, 01 नग आरी ब्लेड जिसकी कुल जुमला कीमती 01 लाख रूपये है। जिसके संबंध में वाहन सवार व्यक्तियों से पुछताछ करने पर कोई विधिसंगत जानकारी नहीं दिया गया तथा उक्त समान को चोरी कर लाया जाना बताये जाने पर वाहन सवार आरोपियों 01.आजम अली पिता जान।

कीटनाशक का सेवन कर जान देने को लेकर सवालों का जवाब दे राज्य सरकार एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि : भाजपा

प्रदेश में सामूहिक रूप से मौत होने की घटना चिंताजनक

ग्राम बेहरापाल में सामूहिक मौत की घटना को लेकर भाजपा ने कि त्वरित जांच की मांग

गरियाबंद। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन ने फिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम बेहरापाल में कीटनाशक सेवन कर सामूहिक आत्महत्या की घटना को लेकर आरोप लगाया है कि ऐसे मामलों को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार चिंतित नहीं है, जबकि ऐसे मामले चिंताजनक है। इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो रही है, कारण क्या है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश साहू, जिला महामंत्री अनिल चंद्राकर ने ग्राम बेहरापाल निवासी दुर्गेश साहू और उसकी पत्नी पुनिया बाई की मौत और बेटे पुष्पेंद्र की गंभीर दशा को लेकर उठ रहे सवालों का ज़वाब प्रदेश की जनता को देने की मांग राज्य सरकार से की है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि इन तीनों ने कीटनाशक का सेवन किया था, जिसकी ख़बर आसपास के लोगों को पडोसी जागेश्वर ने दी और किसी तरह घर का दरवाजा खोलकर सबने अंदर जाकर देखा कि तीनों बेसुध पड़े हैं। भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम की सूक्ष्मता से जांच कर सारे तथ्यों का खुलासा करने की मांग की है। कीटनाशक सेवन करने वाले इन तीनों पीड़ितों को अस्पताल पहुचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दुर्गेश साहू को मृत घोषित कर दिया।जबकि पुनियाबाई व पुष्पेंद्र को गंभीर दशा के कारण रायपुर रिफर किया, जहां पुनियाबाई ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और पुष्पेंद्र जीवन-मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। इस तरह मौत को गले लगाने की इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की वज़ह सरकार एवं जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए। जिस तरह प्रदेश में सामूहिक रूप से मौतों का सिलसिला चल रहा है, वह काफी चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सामूहिक मौतों की घटनाएं बढ़ी है, प्रदेश सरकार को इन मामलों में जांच करनी चाहिए। ग्राम बेहरापाल के साहू परिवार पर आई इस विपदा ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। शासन व पुलिस प्रशासन को इसकी तह तक जाना होगा।

प्रदेश में कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार के पूरे कार्यकाल में लोगों के प्रताड़ित होकर आत्महत्या के लिए विवश होने का यह सिलसिला कलंकपूर्ण है। इस मामले में मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करते भाजपा ने इलाज करा रहे पुष्पेंद्र के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए मामले की जांच करने और मृतक के परिवार को बतौर मुआवजा तत्काल पर्याप्त सहायता राशि देने की मांग की है।

नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान की अध्यक्षता में पीआईसी की बैठक

कवर्धा। कल दिनांक 31/3/2021 को नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान की अध्यक्षता में पी ,आई ,सी की बैठक आहूत की गई जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्रस्ताव रखा गया ।

अध्यक्ष फिरोज खान ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नगर पंचायत पांडातराई को विभिन्न मदो जैसे राजस्व,अधोसरंचना, प्रधानमंत्री आवास,15वें वित्त,स्वछ भारत मिशन,मरम्मत संधारण, राज्य सरकार की मदो से लगभग 2015.75 लाख रुपये की अनुमानित आय होनी है जिसमें से 2005.82 लाख रुपये का अनुमानित व्यय किया जाना है जिसके उपरांत अंतर की शेष राशि लगभग 4.93 लाख रुपये के लाभ का बजट बैठक अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अनुमानित नवीन प्रस्तावित कार्यों में मुख्य रूप से बस स्टैंड सह व्यावसायिक परिसर निर्माण, सर्व समाज मांगलिक भवन निर्माण, कर्मचारी आवास, पालिका बाजार, सीवरेज निर्माण,नगर विभिन्न प्रवेश स्थलों पर प्रवेश द्वार, चौक चौराहों का निर्माण एवम मूर्ति स्थापना जैसव5 विभिन्न कार्य जो नगर विकास के साथ साथ नगर की सुंदरता को बढ़ाने के उद्देश्य से किआ जाना है

नगर अध्यक्ष फिरोज खान ने आगे बताया कि उनके अन्तर्मन में नगर के विकास और नगर को सर्वसुविधायुक्त बनाने का जो सपना लेकर अध्यक्ष पद का भार संभाले थे उस लक्ष्य पूर्ति के लिए वे हर सम्भव और सार्थक प्रयास कर रहे हैं वही राज्य में कांग्रेस की सरकार होने से उनके नगर को सर्व सर्वसुविधायुक्त बनाने में सरकार का भरपूर सहयोग भी मिलेगा ।

गत वर्ष वर्षा ऋतु में हुए नगर के नालो में जल भराव से काफी दिक्कतों का सामना नगरवासियों को करना पड़ा था जिससे निजात दिलाने नगर के प्रमुख नालो को सीवरेज से जोड़ने का कार्य का भी प्रस्ताव बजट में रखा गया ।

सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के अध्यक्ष बने नीरज

बालोद। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा नए कार्यकारणी का गठन किया गया। जिसमें सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे, प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी ठाकुर, मुकेश पोसारिया, सुमति चुरेन्द्र व कोर कमेटी की उपस्थित में सर्व सम्मति से दल्लीराजहरा के नीरज ठाकुर को युवा प्रभाग का जिलाध्यक्ष पद पर मनोनित किया गया। इस दौरान युवाओं ने फूल माला पहना कर नीरज का सम्मान किया। नीरज ने कहा युवाओं को सही मार्ग प्रशस्त करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी।

कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रप्रभा ने गांव में की निर्मला घाट बनाने की घोषणा

आतरगांव में बनेगी 2.46 लाख से नाली

बालोद । ग्राम आतरगांव में 2.46 लाख की लागत से नाली निर्माण का भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य चंद्रप्रभा सुधाकर थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री केशव शर्मा ने की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण महिलाएं नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत रोजगार का काम कर अपना जीवकोपार्जन कर सकती है। कोरोना महामारी के कारण विकास कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके बाद भी प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ने कहा कि रोजगार गारंटी योजना में छत्तीसगढ़ प्रदेश अग्रणी रहा है। इसी प्रकार केंद्र द्वारा संचालित कई योजनाओं का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में सरकार ने बेहतर ढंग से किया है। मुख्य अतिथि ने पैठु तलाब में निर्मलाघाट निर्माण की घोषणा की। सरपंच खिलावन सिह माहला ने ग्राम पंचायत में संचालित कार्यों की जानकारी दी। ग्रामीण महिलाओं ने गौठान निर्माण की प्रशंसा की।

पूर्व विधायक सिन्हा व नपा अध्यक्ष पर दर्ज केस हुआ वापस

बालोद। संजारी बालोद के तत्कालीन कांग्रेस के विधायक और नगर पालिका परिषद बालोद के अध्यक्ष विकास चोपड़ा पर यह आरोप था कि 29 जनवरी 2016 को, तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा संपत्ति कर में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में बालोद बंद का आयोजन कर, कलेक्ट्रेट गेट में सुरक्षार्थ लगाए गए बेरिकेट को तोड़ कर कलेक्टरेट अंदर प्रवेश कर, शासन प्रशासन को क्षोभ कारित कारित किया है। जिस पर बालोद थाना में अपराध क्रमांक 62/2016, आईपीसी की धारा 447 के तहत अपराध तत्कालीन विधायक भैयाराम सिन्हा और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विकास चोपड़ा के विरूद्ध, तत्कालीन भाजपा सरकार के दबाव में दर्ज किया गया था। इस मामले को वर्तमान छ ग सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लेने के बाद , राजनीतिक विद्वेष का मामला होने से मंत्रिमंडल कमेटी की विशेष बैठक आयोजित कर, उक्त आपराधिक प्रकरण को वापस लेने के लिये अभियोजन विभाग को पत्र प्रेषित किया गया था।

वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्ट से पिछड़ा देवभोग ब्लॉक

देवभोग। जिले के अन्य ब्लॉक की तुलना देवभोग ब्लॉक वैक्सीन टीका लगाने और कोरोना टेस्ट से लगातार पिछड़ रहा है। इसे प्रशासनिक ढिलाई माना जाए। या फिर आम आदमी की लापरवाही समझे जबकि ब्लॉक के साथ प्रदेश में डर का माहौल बना हुआ है लोग अपने बचाव के लिए तरह-तरह की रास्ता अपना रहे हैं ताकि स्वयं कोरोना से बचने के अलावा अपने परिवार को भी बचा सके । क्योंकि देश में छत्तीसगढ़ दूसरा नंबर पर पहुंच गया है। जहां कोरोना संक्रमित लोग सबसे अधिक मिल रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंस और मार्क्स जैसे सुरक्षित बाण को अनदेखा करना भयावह स्थिति को आमंत्रित करने के समान माना जाता है। हालांकि लोग जागरूकता और डर के साथ सतर्कता बरतें इसके लिए जिले में धारा 144 लगाया गया है। बावजूद इसके दर्जन भर लोग एक साथ बिना मार्क्स बिना सोशल डिस्टेंस के दिखाई पड़ते हैं। जिससे ब्लॉक में कोरोना के मरीज बढ़ने की और भी ज्यादा संभावना बन जाती है। तो वही लोग वैक्सीन लगाने में भी कतरा रहे हैं। मतलब आंकड़ा 150 के पार भी नहीं पहुंच रहा है। जानकारी अनुसार वर्तमान स्थिति में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिनका इलाज भी जारी है। इसके अलावा सिर्फ40 से 60 लोग ही कॉरोना टेस्ट करा रहे हैं। जबकि अधिक से अधिक 150 लोग ही वैक्सीन टीका लगा रहे हैं। इससे स्वास्थ्य अमला की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ रही है। क्योंकि तमाम रास्ता अख्तियार करने के बाद भी टेस्ट और वैक्सीन टीका पर लोगों के बीच सफलता नहीं मिल रही है । बावजूद इसके लोग और भी ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। तभी मार्क्स और सैनिटाइजर की बिक्री लगभग थम गई है। जबकि कोरेना की शुरुआती दौर पर हजारों की तादाद में मार्क्स बिक्री होती रही ।तो सैनिटाइजर सैकड़ों की संख्या में बेचते रहे। अब मार्क्स और सैनिटाइजर की घटती संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है। कि आम आदमी किस हद तक लापरवाही बरत रहे हैं। जिसका नतीजा आने वाले दिनों में काफी भयावह होने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है।

गुंडरदेही क्षेत्र में तांदुला नदी व किनारे बसे गांवों से रेत माफियाओं ने निकाल ली सैकड़ों ट्रिप रेत

मां तांदुला नदी में चांदनी रात में ट्रैक्टर की लाइट बंद कर रेत माफियाओं ने अवैध रूप से रेत घाट से लगभग सैकड़ों ट्रिप रेत अवैध परिवहन कर दिया ,प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

- देर रात परिवहन कर दूसरे जगह एकत्र करने की बातें आ रहा सामने

नवप्रदेश संवाददाता

गुंडरदेही। गुंडरदेही मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी में स्थित मां तांदुला नदी किनारे बसे ग्राम में लगातार राज्य शासन के बिना अनुमति के अवैध रूप से रेत उत्खनन करने का मामला सामने आया है ।
गुंडरदेही नगर से लगा हुआ ग्राम रंगकटेरा ,चंदनबिरही, नवागां धनगांव एवं गुंडरदेही नगर सीमा नदी किनारे सतनाम समाज के मुक्तिधाम निजी एवं शासकीय जमीन पर भारी मात्रा में भसवा रेत का अवैध परिवहन हुआ है। इस प्रकार की जानकारी सामने आ रहा है।

रेत माफिया गुंडरदेही के तांदुला नदी के डोकरी घाट एवं रंग कठेरा रोड , चंदन बिरही ,नवागांव रोड से रोज 10:बजे रात से सुबह के 4:00 बजे तक रेत माफियाओं ने बेधड़क बिना रोक-टोक के रेत का अवैध परिवहन कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे है। , यह रेत माफिया कौन है ? पूर्व में रेत माफियाओं पर जिला ट्रैफिक पुलिस एवं खनिज विभाग गुंडरदेही पुलिस तत्कालीन एसडीएम के द्वारा कार्यवाही जा चुका है। पर अब यह रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है । रेत माफिया दबी जुबान से कहने लगे है कि किसी जिम्मेदारों के बंगले पर रेत परिवहन किया है। इसलिए भी नहीं हो रहा है कार्यवाही जगह-जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। जिला में बैठे खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी का भी इस अवैध परिवहन में मौन सहमति बना हुआ है सबसे कम कार्यवाही खनिज विभाग ने इस ओर किया है। अवैध उत्खनन पर सबसे ज्यादा कार्यवाही गुंडरदेही पुलिस ने किया है पर अब कुछ समय से कार्यवाही नहीं होने से जनमानस में चर्चा है कि अवैध रूप से संचालित गुंडरदेही में ईंट भट्ठे में यह अवैध रूप से रेत परिवहन का स्टॉक देखा जा रहा है। रेत माफिया बड़ी चतुराई से आधी रात को चांद की रोशनी में ट्रैक्टर की लाइट बंद कर मां तांदुला नदी से रेत निकाल रहे है। पूर्व में एनीकट के गेट खोलने से एनीकट में भरे पानी नीचे चले जाने के कारण क्षेत्र में वाटर लेवल डाउन हो गया है। गेट खोलने की शिकायत अध्यक्ष सहित पार्षद ने किए थे शिकायत थाना व एसडीएम कार्यालय में, दूसरी ओर रेत माफियाओं के द्वारा लगातार ओवरलोड रेत परिवहन करने के कारण चंदन बिरही एनीकट में बने 6 लाख रुपए के एप्रोच सीमेंट्रीकरण का धूल उड़ रहा है और विभाग मौन बैठा है।

शिकायत पूर्व में हुई थी जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई

वही अवैध रेत घाट के आसपास बने बघमरा एनीकट के बीच गेट खोलने का शिकायत पूर्व में हुआ था जिसका अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ गेट खोलने की शिकायत एकदम आम बात हो गया है। आज इसी जलभराव के नहीं होने के कारण किसानों की मोटर पंप में वाटर लेवल डाउन हो गया है , यह रेत माफियाओं के कारण यह स्थिति बन सकता है। खनिज विभाग के जिम्मेदार अफसर कभी भी फोन नहीं उठाते अब देखना होगा वैसे तो इस कार्यवाही का दायित्व खनिज विभाग का बनता है पर समय समय में गुंडरदेही पुलिस कार्यवाही के लिए नदी तक जाते हैं। पर रेत माफियाओं का मुखबीर इतना तगड़ा होता है कि अधिकारी के नदी पहुंचने से पहले अपने ट्रैक्टर निकाल देते हैं।

हाथियों के दल ने मुख्य मार्ग को पार कर मैनपुर वन परिक्षेत्र में डाला डेरा

लूठापारा, धोबीपारा, खोलापारा के जंगल में हाथियों का दल मौजूद

- वन विभाग लगातार ग्रामीणों को जंगल नहीं जाने की कर रहा अपील ग्रामीणो में भारी दहशत

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। हाथियों का दल लगातार वन परिक्षेत्र नवागढ और धवलपुर में विचरण करने के बाद होली पर्व के दिन सिकासार मुख्य मार्ग को एक बार फिर पार कर वन परिक्षेत्र मैनपुर के जंगलो में पहुच गया है, तहसील मुख्यालय मैनपुर से महज 15 किलोमीटर की दुरी पर हाथियों का दल मौजूद है, और हाथियों के दल मे दो नन्हे शावक भी है, जिसके चलते हाथियों का दल काफी आक्रमक नजर आ रहा है, अपने रास्ते में आने वाले पेड पौधों और किसानों के फसलों को चैपट करते हाथियों का दल लगातार क्षेत्र के जंगल में पिछले एक सप्ताह से विचरण कर रहा है इस दल में होली से पहले 13 हाथियों का दल था बिछडे दो हाथी और मिल गये है,अब हाथियों के दल में कुल 15 हाथी हो गये है, वैसे भी लगभग एक पखवाडा पूर्व हाथी दो दलो में बट गये है, जिसमें एक दल धमतरी जिला के सीमा पर लगातार अपनी उपस्थिति दे रहा है और दुसरा दल जिसमें दो नन्हे शावक है, यह दल मैनपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम लूठापारा, धोबीपारा, खोलापारा के कक्ष क्रमांक 890,898 और 891 में लगातार विचरण कर रहे है, हाथियों के दल एक बार फिर मैनपुर वन परिक्षेत्र में आ जाने से क्षेत्र के ग्रामीणो में भारी दहशत देखने को मिल रही है, ग्रामीण महुआ सीजन होने के बावजूद वनोपज महुआ संग्रहण करने जंगल की तरफतो दुर खेत और नदी किनारे तक नही जा पा रहे है आज शाम पांच बजे के आसपास हाथियों का दल धोबीपारा के आगे पैरी नदी में अठखेलिया करते नजर आए और नदी किनारे हाथियों का दल डेरा जमाए हुए है, तथा बांस के पौधे इनके लिए बेहतर साबित हो रहा है, बांस के जंगल में हाथियों का दल लगातार दबिश दे रहे है, वही दुसरी ओर हाथी मित्रदल व वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार हाथियों के दल पर नजर रखे है, और ग्रामीणो को अकेले जंगल की तरफ नही जाने की अपील कर रहे है।

> मैनपुर विभाग मैनपुर के एसडीओ राजेन्द्र प्रसाद सोरी ने बताया कि हाथियों का दल नवागढ, धवलपुर वन परिक्षेत्र को पार कर मैनपुर के वन परिक्षेत्र में पहुच गये है, और 15 की संख्या में हाथी दल में मौजूद है, वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को जंगल की तरफसुरक्षा की लिहाज से आने जाने के लिए मना किया जा रहा है।
>
> **राजेन्द्र सोरी,** एसडीओ मैनपुर